

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019—अग्रहायण 8, शक 1941

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2019

क्र. एफ 1(ए)-59-2003-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री व्ही. के. सूर्यवंशी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, इन्दौर को दिनांक 18 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2019 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं 16-17 नवम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री व्ही. के. सूर्यवंशी, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. सूर्यवंशी, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री व्ही. के. सूर्यवंशी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. सूर्यवंशी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. सूर्यवंशी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2019

क्र. एफ 1(ए)-254-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री संजय राणा, भाप्रसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 13 से 23 नवम्बर 2019 तक ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री संजय राणा, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय राणा, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजय राणा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय राणा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय राणा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)-389-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री पवन कुमार जैन, भाप्रसे, अति. पुलिस महानिदेशक, विपुस्था. (पूर्व) लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 1 से 4 नवम्बर 2019 तक चार दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री पवन कुमार जैन, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अनिल कुमार, भापुसे महानिदेशक, विपुस्था. लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार जैन, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अति. पुलिस महानिदेशक, विपुस्था. (पूर्व) लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पवन कुमार जैन, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार जैन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार जैन, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्र. एफ 1(ए)-168-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 6 से 25 जनवरी 2020 तक कुल बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 05 व 26 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित अण्डमान निकोबार की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- |                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| 1. श्री कैलाश मकवाना   | — | स्वयं  |
| 2. श्रीमती सीमा मकवाना | — | पत्नी  |
| 3. श्री ऋषभ मकवाना     | — | पुत्र  |
| 4. कु. श्रुति मकवाना   | — | पुत्री |
| 5. श्री रोहित मकवाना   | — | पुत्र  |

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, का चालू कार्य पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2019

क्र. एफ 1(ए) 91-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री रमन सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल, इन्दौर को दिनांक 18 से 27 नवम्बर 2019 तक दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 16-17 नवम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री रमन सिंह सिकरवार, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पश्चिम क्षेत्र, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रमन सिंह सिकरवार, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रमन सिंह सिकरवार, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री रमन सिंह सिकरवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमन सिंह सिकरवार, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)-187-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री राजेश चावला, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस तथा नागरिक सुरक्षा, जबलपुर को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 29 नवम्बर से 13 दिसम्बर 2019 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित कुर्ग-कर्नाटक की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री राजेश चावला — स्वयं
2. श्रीमती सुनीता चावला — पत्नी

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री राजेश चावला, भापुसे, का चालू कार्य श्री डी. सी. सागर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस तथा नागरिक सुरक्षा, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजेश चावला, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2019

फा. क्र. 5877-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री राजीव कुमार अयाची की

सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

पंजी. क्र. 5880-2019-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, श्री मुकेश गुप्ता, पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, सीधी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी की सेवाएं उनके कार्य सौंपने के दिनांक से वापस कर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र. 5902-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 04).—राज्य शासन सुश्री प्राची चौधरी पुत्री श्री प्रमोद चौधरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 18 अक्टूबर, 1992 है.

फा. क्र. 5312-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 15).—राज्य शासन सुश्री पूजा विजयवर्गीय पुत्री श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शाजापुर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 18 नवम्बर, 1995 है.

फा. क्र. 5970-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 28).—राज्य शासन सुश्री चाहना शर्मा पुत्री श्री जगदीश शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 09 अक्टूबर 1990 है.

फा. क्र. 5940-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 31).—राज्य शासन श्री विनय सिंह राजपूत पुत्र श्री महेन्द्र सिंह राजपूत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक

से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 02 जुलाई 1993 है।

फा. क्र. 5594-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 70).— राज्य शासन श्री रजनीश ताम्रकार पुत्र श्री रमेश कुमार ताम्रकार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सतना (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1990 है।

फा. क्र. 5966-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 87).— राज्य शासन सुश्री मेघा पुरोहित पुत्री श्री विजयेन्द्र कुमार पुरोहित को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला झाँसी (उत्तरप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 05 नवम्बर 1992 है।

फा. क्र. 5871-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 91).— राज्य शासन सुश्री रानू रिछारिया पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद रिछारिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 17 अप्रैल 1990 है।

फा. क्र. 5742-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 107).— राज्य शासन श्रीमती सीमा धाकड़ पति श्री गिरराज धाकड़ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 अगस्त 1988 है।

फा. क्र. 5914-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 120).— राज्य शासन श्री रवि कुमार साहू पुत्र श्री श्याम कुमार साहू को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 11 जून 1993 है।

फा. क्र. 5864-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 149).— राज्य शासन सुश्री जयश्री आर्ययान पुत्री श्री राजाराम सिंह आर्ययान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 16 जनवरी 1983 है।

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2019

फा. क्र. 5917-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 11).— राज्य शासन सुश्री स्वाती पुत्री श्री बृजेश कुमार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला करनाल (हरयाणा) है। उसकी जन्मतिथि 14 मई 1995 है।

फा. क्र. 5746-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 22).— राज्य शासन सुश्री भाविनी सिंह पुत्री श्री रिपुदमन सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 26 अक्टूबर 1993 है।

फा. क्र. 5887-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 55).— राज्य शासन श्री उत्कर्ष राज सोनी पुत्र श्री दिनेश सोनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक

अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 24 जून 1996 है।

फा. क्र. 5888-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 65).— राज्य शासन श्री हिमांशु पालीवाल पुत्र श्री रमेश कुमार पालीवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 10 जनवरी 1994 है।

फा. क्र. 5227-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 67).— राज्य शासन श्री अभिषेक दीक्षित पुत्र श्री ओम प्रकाश दीक्षित को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 10 मार्च, 1992 है।

फा. क्र. 5598-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 85).— राज्य शासन श्री उपमन्यु शुक्ल पुत्र श्री काशी नाथ शुक्ल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला फैजाबाद (उत्तरप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 03 जनवरी, 1993 है।

फा. क्र. 5901-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 86).— राज्य शासन श्री संजीव राहंगडाले पुत्र श्री सुभाष राहंगडाले को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 14 मई, 1993 है।

फा. क्र. 5913-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 101).— राज्य शासन श्री गोपाल नंदन पाल पुत्र श्री गेन्दलाल पाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दावाड़ा (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 21 दिसम्बर 1982 है।

फा. क्र. 5816-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 104).— राज्य शासन श्री प्रेम दीप शाह पुत्र श्री विनायक प्रसाद शाह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 26 नवम्बर 1995 है।

फा. क्र. 5938-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 109).— राज्य शासन श्री चेतन बजाड़ पुत्र श्री गोवर्धन लाल बजाड़ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 9 अगस्त 1993 है।

फा. क्र. 6000-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 136).— राज्य शासन श्री दीपू शाक्य पुत्र श्री जनवेद शाक्य को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 2 अगस्त 1988 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2019

पंजी. क्र. 5850-2019-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन एतद्वारा श्री अनुराग वर्मा, नोटरी जिला मुख्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2019 को प्रेषित त्यागपत्र के फलस्वरूप, उनके नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 19 जुलाई 2016 को अपास्त करते हुए उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2019

फा. क्र. 5873-2019-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है:—

क्र.	नाम तथा पद	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री अतुल यादव (सीनियर), पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रतलाम.	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, छिन्दवाड़ा (श्री प्रदीप कुमार वरकाडे के स्थान पर).
2	श्री सुमित शर्मा, अतिरिक्त न्यायाधीश से व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, पिछोर जिला शिवपुरी.	श्रम न्यायालय, होशंगाबाद (श्री वैभव सक्सेना के स्थान पर).
3	श्री अतुल बिल्लौरै, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, हरदा.	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, मंदसौर (श्री अशीष प्रताप सिंह के स्थान पर).
4	श्री बिश्व दीपक तिवारी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, खण्डवा.	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, क्रमांक-2, ग्वालियर (श्री सुनिल दंडोतिया के स्थान पर).
5	श्री दीपक कुमार अग्रवाल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, झाबुआ.	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, खण्डवा (श्री सूर्य प्रकाश शर्मा के स्थान पर).
6	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, अतिरिक्त न्यायाधीश से व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सीधी (श्री मुकेश गुप्ता के स्थान पर).

फा. क्र. 5876-2019-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को सौंपता है:—

1. श्री प्रदीप कुमार वरकाडे, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, छिन्दवाड़ा.
2. श्री वैभव सक्सेना, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, होशंगाबाद.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2019

फा. क्र. 5563-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 105), राज्य शासन सुश्री प्रीति प्रसाद पुत्री श्री हेमचन्द्र को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 03 जुलाई 1985 है.

फा. क्र. 6050-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 117), राज्य शासन सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना पुत्री श्री वारिस ताजिर तमन्ना को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 03 जून, 1995 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2019

क्र. एफ-11-5 (10-1) 2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81(ए)(सी)(डी) के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार वर्मा, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक के पद पर मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भारती ओगरे, उपसचिव.

## महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2019

क्र. 4066-2804-2019-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

## अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिला का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सीधी	सीधी	श्रीमती मिनी गुप्ता, IICJ-I & JMFC

No. 4066-2804-2019-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in column (2) of the schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

## SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sidhi	Sidhi	Smt. Mini Gupta, IICJ-I & JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शैलबाला मार्टिन, उपसचिव.

## लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्र. एफ 9-5-2019-17-मेडि-1.—राज्य शासन एतद्वारा श्री एस. पी. श्रीवास्तव, स्वास्थ्य अधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किये जाने संबंधी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 19-1-2005-सत्रह-मेडि-एक, दिनांक 22 फरवरी 2014 को संपूर्ण विचारोपरान्त निरस्त किया जाता है.

S. N. F 9-5-2019-XVII-Medi.-1.—The State Government, after due consideration hereby quashes the Notification No. F19-01-2005-XVII-Medi. 1 dated 22nd February 2014 which authorized Shri S. P. Srivastava, Health Officer, Urban Administration and Development Department to work as Food Safety Officer.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. सुनहरे, उपसचिव.

**विभाग प्रमुखों के आदेश**  
**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.आर.ओलम-2019-20-815

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2019-20 हेतु ओलम एग्री इण्डिया प्रा0लि0 युनिट बड़वानी शुगर, तहसील-ठीकरी, जिला- बड़वानी (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क.	जिला/विकास खण्ड	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	बड़वानी/ठीकरी	फैक्ट्री गेट	56	2017.77
2	बड़वानी/राजपुर	फैक्ट्री गेट	02	6.65
3	बड़वानी/सेधवा	फैक्ट्री गेट	06	38.69
4	बड़वानी/बड़वानी	फैक्ट्री गेट	00	00
5	खरगोन/कसरावद	फैक्ट्री गेट	05	37.56
6	खरगोन/खरगोन	फैक्ट्री गेट	00	00
7	खरगोन/महेश्वर	फैक्ट्री गेट	01	21.23
8	धार/धरमपुरी	फैक्ट्री गेट	17	136.46
9	धार/उमरबन	फैक्ट्री गेट	27	565.51
10	धार/मनावर	फैक्ट्री गेट	00	00
	कुल		114	2823.87

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त.



## विकासखण्ड-ठीकरी ( जिला-बड़वानी )

क्र. (1)	ग्राम (2)	हवाई दूरी कि.मी. (3)	सड़क दूरी कि.मी. (4)	क्षेत्रफल हेक्टर (5)
1	कुआं	3	3	176.62
2	केरवा	2	3	17.42
3	कपाल्याखेड़ी	3	6	13.34
4	घटवा	1	1	48.76
5	अभाली	2	3	43.46
6	भगवानपुरा	2	2	61.36
7	जरवाह	2	7	83.95
8	उमरदा	2	2	46.68
9	हतोला	13	13	1.83
10	सेगवाल	2	4	98.19
11	ठीकरी	4	6	187.00
12	रणगांव	5	6	31.00
13	खुरमपुरा	5	15	7.93
14	मदरान्या	9	21	1.40
15	कुंडिया	2	7	6.80
16	बांदरकच्छ	13	16	6.46
17	ब्राम्हणगांव	6	10	71.51
18	लखनगांव	9	13	8.13
19	अजंदी	5	12	19.14
20	देवला	6	9	41.69
21	रसवाडेब	10	17	6.29
22	मारूचिचली	13	13	35.67
23	चेनपुरा	11	20	26.57
24	गवला	11	13	18.31
25	ननगांव	5	13	18.48
26	दवाना	5	7	86.55
27	विश्वनाथखेड़ा	8	17	51.02
28	बलगांव	5	8	8.97
29	टिटगारिया	7	10	29.35
30	दाबड़	5	10	34.19
31	सेमल्दा डेब	12	16	4.39
32	घट्टी	5	10	3.91
33	बावड़िया	17	19	5.91
34	फत्यापुर	19	20	1.53
35	किरमोही	19	23	29.53
36	मंडवाड़ा	22	23	9.22
37	पिपल्याडेब	17	19	4.07
38	लोहारा	16	22	49.57
39	केसरपुरा	22	27	32.73
40	नलवाय	13	19	10.29
41	तलवाड़ाडेब	14	16	21.777
42	पान्या	22	25	9.18
43	रणगांवडेब	22	25	73.92
44	उचावद	17	23	22.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45	बिलवाडेब	18	24	1.62
46	मेहगांव डेब	11	16	17.76
47	हरीबड़	13	29	4.78
48	बड़गांव	19	28	1.18
49	बिलवा रोड़	31	37	1.62
50	अंजड़	25	32	77.74
51	मोहीपुरा	24	38	72.78
52	दतवाड़ा	28	38	124.90
53	गोलाटा	28	39	16.72
54	चकेरी	27	29	11.80
55	आवली	31	37	50.50
56	छोटा बड़दा	31	37	70.23
				योग . . 2017.77
<b>विकासखण्ड-राजपुर ( जिला-बड़वानी )</b>				
1	रणगांवरोड़	29	42	4.62
2	सनगांव	17	31	2.03
				योग . . 6.65
<b>विकासखण्ड-सैंधवा ( जिला-बड़वानी )</b>				
1	पिसनावल	45	55	4.45
2	वरला	72	80	12.01
3	अंजनगांव	52	68	1.37
4	छिगली	51	68	1.68
5	मेहडगांव	46	68	14.59
6	सिलदर	65	73	4.59
				योग . . 38.69
<b>विकासखण्ड-बड़वानी ( जिला-बड़वानी )</b>				
				योग . . 00
<b>विकासखण्ड-कसरावद ( जिला-खरगोन )</b>				
1	खलबुजुर्ग	10	18	4.33
2	सत्राटी	6	12	13.56
3	नगावां	8	16	1.27
4	मगरखेड़ी	8	12	8.87
5	पिपलझोपा	8	14	9.53
				योग . . 37.56
<b>विकासखण्ड-महेश्वर ( जिला-खरगोन )</b>				
	इटावदी	28	35	21.23
				योग . . 21.23
<b>विकासखण्ड-खरगोन ( जिला-खरगोन )</b>				
				योग . . 00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>विकासखण्ड-धरमपुरी ( जिला-धार )</b>				
1	सुलगांव	10	36	30.18
2	बगाड़ी	12	36	20.50
3	खतड़गांव	16	39	47.17
4	धरमपुरी	10	30	16.89
5	बेगंदा	20	28	1.41
6	धेगदा	11	38	10.08
7	पगारा	14	35	4.40
8	रामपुर	12	28	0.99
9	फत्यापुर	11	35	4.15
10	खारपुरा	12	36	9.16
11	डहीवर	24	30	0.40
12	एकलरा	10	36	1.72
13	चंदावड़	14	40	12.04
14	गुजरी	23	42	1.10
15	पन्धान्या	18	30	0.64
16	झाकरूड़	15	38	1.84
17	भवान्या खुर्द	14	25	3.97
				योग . . 136.46

**विकासखण्ड-उमरबन**

1	रतवा	20	60	27.25
2	देवलरा	13	38	41.95
3	कोठड़ा	13	42	60.75
4	टवलई	13	38	8.37
5	गोगावां	11	46	23.73
6	पटवार	19	50	16.38
7	छोटी टवलई	13	41	17.74
8	कुवाली	23	57	16.68
9	जलखेड़ा	22	57	5.79
10	डेडगांव	14	38	2.85
11	बाकानेर	21	55	22.87
12	कुंडियापुरा	18	40	3.66
13	राजपुरा	19	53	30.60
14	झिरवी	19	40	12.29
15	अमलाथा	16	43	11.10
16	सरसगांव	15	42	12.56
17	मोद कानापुर	12	37	3.05
18	दाभड़	15	45	1.52
19	महापुरा	14	40	9.63
20	मलनगांव	21	60	32.56
21	मिर्जापुर	21	58	22.37
22	कल्याणपुरा	16	51	1.67
23	दगड़पुरा	15	60	1.53
24	लुन्हेरा	19	43	23.38
25	भुवांदा	22	55	12.87
26	कलाल्दा	23	51	0.86
27	बड़ा बड़दा	24	60	141.50
				योग . . 565.51

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.आर.मॉ रेवा-2019-20-822

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2019-20 हेतु मॉ रेवा शुगर प्रा0 लि0, ग्राम-नर्मदानगर, तहसील-कुक्षी, जिला- धार (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:-

क.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	धार/कुक्षी	फैक्ट्री गेट	19	345.83
2	धार/गंधवानी	फैक्ट्री गेट	04	9.64
3	धार/मनावर	फैक्ट्री गेट	35	839.16
4	बड़वानी/अजड़	फैक्ट्री गेट	07	277.92
5	बड़वानी/बड़वानी	फैक्ट्री गेट	18	152.95
6	बड़वानी/राजपुर	फैक्ट्री गेट	02	1.86
	कुल		85	1627.36

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त.

## तहसील-कुक्षी ( जिला-धार )

क्र.	ग्राम	मॉ रेवा (क्षेत्रफल हेक्टर)	रोड दूरी कि.मी.	
			मॉ रेवा	ओलम शुगर्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिखल्दा	12.25	4	59
2	गेहलगांव	5.47	5	63
3	मलवाड़ा	101.85	6	55
4	कड़माल	4.7	9	71
5	खापड़खेड़ा	24.33	8	70
6	बाजड़ीखेड़ा	33.83	9	70
7	नर्मदानगर (खेड़ा-सिस)	98.5	2	62
8	निसरपुर	2.76	15	77
9	भवरिया	11.2	23	85
10	पिपल्या	2.47	11	73
11	कोठड़ा	1.6	19	80
12	बोधवाड़ा	15.9	7	69
13	बेडबालियाँ	1.07	10	72
14	करोदीयाँ	4.95	13	75
15	कुक्षी	4.1	31	93
16	बड़दा	9.95	41	103
17	कटनेरा	1.6	18	80
18	कापशी	8	38	100
19	आली	1.3	40	102
योग . .				345.83

## तहसील-गंधवानी ( जिला-धार )

1	पानवा	0.92	36	65
2	पीपली	0.94	24	65
3	गंधवानी	6.27	32	75
4	बापदूत	1.52	35	65
योग . .				9.65

## तहसील-मनावर ( जिला-धार ) 19-20

क्र.	ग्राम	मॉ रेवा (क्षेत्रफल हेक्टर)	रोड दूरी कि.मी.		
			मॉ रेवा	ओलम शुगर्स	जे. एन. शुगर्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	देवगढ़	10.98	9	61	76
2	कवटी	1.6	17	63	78

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	साततलाई	2.14	12	61	76
4	सरिफपुरा	26.73	48	62	78
5	उरदना	16.51	35	42	80
6	सिंधाना	0.48	15	74	89
7	गणपुर	1.64	5	60	91
8	जोतपुर	2.26	45	62	85
9	पिपलाज	13.07	16	56	75
10	सेमल्दा	87.88	24	70	85
11	अछोदा	144.07	23	64	72
12	सिरसाला	6.87	28	55	70
13	करौली	34.18	18	70	85
14	बड़गाँवखेड़ी	4.34	24	80	95
15	अजंदा	23.61	46	55	72
16	एकलबारा	99.38	19	73	88
17	पेरखड़	71	26	65	80
18	वायल	0.58	40	59	75
19	सिरसी	2.4	8	59	75
20	पिपरीमान	14.15	41	59	75
21	गोपालपुरा	5.06	11	60	75
22	पिपरी	0.94	24	70	85
23	लुन्हैरा	3.1	36	80	95
24	कलवानी	3.62	34	68	83
25	मनावर	4.35	32	59	74
26	साला	2.42	20	65	80
27	बागलिया	3.6	28	61	76
28	देवला	7.51	35	61	76
29	रतवा	27.49	38	59	75
30	बड़ा-बडदा	119.95	42	59	75
31	मलनगाँव	60.71	51	59	75
32	पटवार	10.77	47	59	75
33	जलखेड़ा	2.8	38	55	70
34	कुवाली	13.11	43	55	72
35	मिर्जापुर	9.86	46	70	85

योग . 839.16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>तहसील-अंजड़ ( जिला-बड़वानी )</b>				
1	अंजड़	33.56	26	31
2	दतवाड़ा	114.41	33	35
3	आवली	24.07	33	39
4	छोटा बड़दा	77.72	31	35
5	गोलाटा	20.73	34	35
6	साजवाय	2.27	36	40
7	लोन्सरा	5.16	27	41
				योग . . 277.92

**तहसील-बड़वानी ( जिला-बड़वानी )**

1	बड़वानी	2.73	12	48
2	तलून	4.69	20	43
3	बोरलाय	13.51	25	39
4	धनोरा	8.3	26	34
5	पिपरी	2.17	25	35
6	तलाड़ा बुजूर्ग	1.2	25	35
7	पिपलाज	2.73	19	41
8	कुंडिया	16.48	16	43
9	छोटी-कसरावद	17.85	9	52
10	पिपलुद	31.84	26	35
11	सेंगावा	5.08	34	34
12	करी	4.36	24	43
13	कल्यानपुरा	4.69	14	49
14	बगुद	9.41	25	41
15	एकलारा	22.51	14	47
16	राजधाट (कुकरा)	2	16	49
17	पाल्या	2.47	22	58
18	सजवानी	0.93	26	31
				योग . . 152.95

**तहसील-राजपुर ( जिला-बड़वानी )**

1	सिंगुन	0.5	34	48
2	सिलावद	1.36	36	60
				योग . . 1.86

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.आर.नवलसिंह-2019-20-829

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2019-20 हेतु मे. नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नवलनगर, जिला- बुरहानपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:-

क.	जिला / तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	बुरहानपुर / बुरहानपुर	फैक्ट्री गेट	20	418.10
2	बुरहानपुर / शाहपुर	फैक्ट्री गेट	04	18.40
3	बुरहानपुर / दरियापुर	फैक्ट्री गेट	28	604.90
4	बुरहानपुर / खकनार	फैक्ट्री गेट	27	509.50
5	बुरहानपुर / तुकईथळ	फैक्ट्री गेट	31	886.30
6	बुरहानपुर / हैदरपुर	फैक्ट्री गेट	36	1574.80
7	खण्डवा / पंधाना	फैक्ट्री गेट	14	153.90
8	खण्डवा / पुनासा	फैक्ट्री गेट	06	25.20
9	खण्डवा / खण्डवा	फैक्ट्री गेट	20	64.90
10	खण्डवा / छनेरा	फैक्ट्री गेट	03	9.60
	कुल		189	4265.6

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त.



## नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित,

नवलनगर ४५०३३९ जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

गन्ना पिराई सत्र 2019 - 2020

Cropersie Reserve Cane Area

प्रिंट तारिख : 08/09/2019

राष्ट्र मार्ग  
सी ६९  
K.M. ५

रकबा ( हेक्टर ) में पेज नं : 1

गट क्र.	गट नाम	सेन्टर क्र.	सेन्टर नाम	रोपा	जडी (दुरी)	तिरी	योग	
01	बुरहानपुर							
0101	बुरहानपुर							
		1	बोरगांव खर्द	73	35.400	25.900	0.300	61.600
		2	बाडाबुर्जर्ग	14	5.000	0.000	0.000	5.000
		3	चिचाला	16	3.000	0.000	0.000	3.000
		4	ऐमागिर्द	14	7.000	2.000	0.000	9.000
		5	फतेहपुर	9	9.000	3.500	0.000	12.500
		6	लालबाग	16	0.000	3.200	0.000	3.200
		7	रहीपुरा(बुरहानपुर)	7	4.800	5.000	0.000	9.800
			<b>Center Total</b>		<b>64.200</b>	<b>39.600</b>	<b>0.300</b>	<b>104.100</b>
0102	बहादरपुर							
		8	बोहरडा	19	1.600	0.000	0.000	1.600
		9	हतनूर	20	1.400	0.000	0.000	1.400
		10	मोहम्मदपुरा	21	1.200	2.000	0.000	3.200
			<b>Center Total</b>		<b>4.200</b>	<b>2.000</b>	<b>0.000</b>	<b>6.200</b>
0103	निम्बोला-अ							
		11	मगरूल	7	46.500	37.200	1.000	84.700
		12	मचलपुरा	3	5.100	2.800	0.000	7.900
		13	निम्बोला	3	10.200	6.000	1.000	17.200
		14	रहीपुरा(निम्बोला)	7	11.500	7.600	0.000	19.100
			<b>Center Total</b>		<b>73.300</b>	<b>53.600</b>	<b>2.000</b>	<b>128.900</b>
0104	निम्बोला-ब							
		15	बोरी खर्द	15	12.200	2.900	0.000	15.100
		16	चूलखान	3	27.800	27.900	1.800	57.500
		17	नसीराबाद	17	32.100	21.900	1.700	55.700
		18	निम्ना	21	4.400	2.800	0.000	7.200
		19	झीरी	0	15.800	8.400	0.000	24.200
		20	झांझर	5	10.900	6.100	2.200	19.200
			<b>Center Total</b>		<b>103.200</b>	<b>70.000</b>	<b>5.700</b>	<b>178.900</b>
			Gut योग -		<b>244.900</b>	<b>165.200</b>	<b>8.000</b>	<b>418.100</b>
02	शाहपुर							
0201	शाहपुर							
		21	शाहपुर	22	5.600	0.000	0.000	5.600
			<b>Center Total</b>		<b>5.600</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5.600</b>
0202	फोपनार							
		22	तुरकगुराड़ा	40	4.000	1.600	0.000	5.600
			<b>Center Total</b>		<b>4.000</b>	<b>1.600</b>	<b>0.000</b>	<b>5.600</b>
0203	चापोरा							
		23	धामनगांव	35	3.200	3.000	0.000	6.200
		24	इच्छापुर	36	1.000	0.000	0.000	1.000
			<b>Center Total</b>		<b>4.200</b>	<b>3.000</b>	<b>0.000</b>	<b>7.200</b>

## नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित,

नवलनगर ४५०३३१ जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

गन्ना पिराई सत्र 2019 - 2020

## Cropersie Reserve Cane Area

प्रिंट तारिख : 08/09/2019

गट क्र.	गट नाम	सेन्टर क्र.	सेन्टर नाम	रकबा ( हेक्टर ) में	जडी (दुरी )	तिरी	पेज नं : 2	योग
Gut योग -				13.800	4.600	0.000		18.400
03	दर्यापुर							
0301	दर्यापुर							
		25	बडगांव (गुलई)	26	13.400	3.900	0.000	17.300
		26	दर्यापुर	24	10.200	7.300	0.000	17.500
		27	खडकोद	24	10.000	12.600	0.000	22.600
		28	टिटगांवखर्द	28	7.000	2.500	0.000	9.500
			<b>Center Total</b>		<b>40.600</b>	<b>26.300</b>	<b>0.000</b>	<b>66.900</b>
0302	बोदरली							
		29	बोदरली	37	0.000	0.800	0.000	0.800
		30	बडझीरी	32	3.400	1.400	0.000	4.800
		31	धावटी	26	0.600	0.000	0.000	0.600
		32	पिपलगांव	35	1.700	0.000	0.000	1.700
			<b>Center Total</b>		<b>5.700</b>	<b>2.200</b>	<b>0.000</b>	<b>7.900</b>
0303	सारोला							
		33	एकलारा	29	8.200	3.800	0.000	12.000
		34	हनुमंतखेडा	24	5.000	2.700	0.000	7.700
		35	सारोला	30	21.400	25.500	0.000	46.900
		36	टिटगांवकला	28	45.600	24.200	0.000	69.800
		37	उमरदा	32	5.600	16.600	0.600	22.800
			<b>Center Total</b>		<b>85.800</b>	<b>72.800</b>	<b>0.600</b>	<b>159.200</b>
0304	अम्बाडा							
		38	अम्बाडा	40	0.000	3.400	0.000	3.400
		39	बाडाजैनाबाद	31	1.600	0.000	0.000	1.600
		40	देवरी	37	6.600	1.000	0.000	7.600
		41	हिंगना	24	1.600	4.800	0.000	6.400
		42	नेवरी	35	8.500	4.300	0.000	12.800
		43	सांडसखर्द	33	7.000	0.000	0.000	7.000
			<b>Center Total</b>		<b>25.300</b>	<b>13.500</b>	<b>0.000</b>	<b>38.800</b>
0305	सिरपुर							
		44	हसीनाबाद	37	9.200	1.200	0.000	10.400
		45	निम्बापुर	37	4.600	5.900	0.000	10.500
		46	नांदखेडा	39	7.200	7.000	0.000	14.200
		47	सिरपुर	32	6.500	1.300	0.000	7.800
			<b>Center Total</b>		<b>27.500</b>	<b>15.400</b>	<b>0.000</b>	<b>42.900</b>
0306	सिधखेडा							
		48	गुलई	30	2.000	0.000	0.000	2.000
		49	महलगुराडा	37	14.000	3.800	0.000	17.800
		50	सिधखेडा	30	49.300	18.600	0.000	67.900
		51	हनुमंतखेडा-अ	27	7.100	0.000	0.000	7.100
			<b>Center Total</b>		<b>72.400</b>	<b>22.400</b>	<b>0.000</b>	<b>94.800</b>
0307	जैनाबाद							

## नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित,

नवलनगर ४५०३३९ जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

गन्ना पिराई सत्र 2019 - 2020

## Cropersie Reserve Cane Area

प्रिंट तारिख : 08/09/2019

गट क्र.	गट नाम	सेन्टर क्र.	सेन्टर नाम	रकबा ( हेक्टर ) में	जडी (दुरी)	तिरी	योग	
		52	जैनाबाद	20	100.000	91.100	3.300	194.400
<b>Center Total</b>					<b>100.000</b>	<b>91.100</b>	<b>3.300</b>	<b>194.400</b>
Gut योग -					<b>357.300</b>	<b>243.700</b>	<b>3.900</b>	<b>604.900</b>
04	खकनार							
0401	खकनार							
		53	बोरखेडा	59	0.900	0.000	0.000	0.900
		54	धाबा	52	13.900	8.200	0.000	22.100
		55	जामन्या	57	15.400	8.800	0.000	24.200
		56	खकनार	55	29.300	9.200	0.000	38.500
		57	खकनार खर्द	54	15.100	5.500	0.000	20.600
		58	करदली	58	0.000	0.400	0.000	0.400
		59	पांगरी	59	12.100	5.400	0.000	17.500
<b>Center Total</b>					<b>86.700</b>	<b>37.500</b>	<b>0.000</b>	<b>124.200</b>
0402	डोईफोडीया							
		60	बसाली	52	9.300	4.700	0.000	14.000
		61	डोईफोडिया	43	8.500	1.500	0.000	10.000
		62	कारखेडा	47	6.100	3.600	0.000	9.700
		63	नांदरा खर्द	48	2.000	0.000	0.000	2.000
		64	नांदरा कला	56	2.800	0.000	0.000	2.800
		65	नागझिरी	54	3.400	2.500	0.000	5.900
		66	साईखेडा (डोईफोडिया)	48	4.300	0.700	0.000	5.000
		67	ताजनापूर	48	2.000	3.400	0.000	5.400
<b>Center Total</b>					<b>38.400</b>	<b>16.400</b>	<b>0.000</b>	<b>54.800</b>
0403	मांजरोद							
		68	कानापूर	61	8.000	5.600	0.000	13.600
		69	मांजरोद कला	63	39.300	11.400	0.000	50.700
		70	टेंभी	59	0.000	1.300	0.000	1.300
<b>Center Total</b>					<b>47.300</b>	<b>18.300</b>	<b>0.000</b>	<b>65.600</b>
0404	शेखापुर							
		71	खडकी	68	7.100	8.700	0.000	15.800
		72	मोहनगढ	66	2.100	3.300	0.000	5.400
		73	निर्मदड़	58	2.200	2.000	0.000	4.200
		74	रघई	65	44.700	17.800	1.600	64.100
		75	सावली	65	16.500	3.800	0.000	20.300
		76	शेखापुर	62	15.600	6.500	0.000	22.100
<b>Center Total</b>					<b>88.200</b>	<b>42.100</b>	<b>1.600</b>	<b>131.900</b>
0405	मांजरोद-बी							
		77	बिजोरी	70	33.600	26.900	0.000	60.500
		78	दसघाट	69	17.200	4.100	0.000	21.300
		79	मांजरोद खर्द	64	35.100	16.100	0.000	51.200
<b>Center Total</b>					<b>85.900</b>	<b>47.100</b>	<b>0.000</b>	<b>133.000</b>

## नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित,

नवलनगर ४५०३३१ जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

गन्ना पिराई सत्र 2019 - 2020

## Cropersie Reserve Cane Area

प्रिंट तारिख : 08/09/2019

गट क्र. गट नाम सेन्टर क्र. सेन्टर नाम

K. ७७. ७९

रकबा ( हेक्टर ) में पेज नं : 4

जडी (दुरी) तिरी योग

गट क्र.	गट नाम	सेन्टर क्र.	सेन्टर नाम	रोपा	जडी (दुरी)	तिरी	योग	
Gut योग -				346.500	161.400	1.600	509.500	
05	तुकईथड							
0501	तुकईथड							
		80	चिड़ियामाल	70	15.900	5.400	0.000	21.300
		81	खोदरी	67	15.600	8.200	1.200	25.000
		82	मोन्ना	73	40.000	24.400	0.000	64.400
		83	मेलघुका	68	20.200	7.600	1.000	28.800
		84	पीपलपानी	71	24.100	19.500	0.000	43.600
		85	पांढरी	72	2.600	3.600	0.000	6.200
		86	रायतलाई	68	17.700	16.500	0.000	34.200
		87	रामघड	72	8.600	3.200	0.000	11.800
		88	तुकईथड	65	57.600	51.000	1.900	110.500
		89	झिरमिटी	70	5.100	2.800	0.000	7.900
		Center Total			207.400	142.200	4.100	353.700
0502	देडतलाई							
		90	बालापाट	81	13.200	6.500	0.000	19.700
		91	देडतलाई	79	10.500	14.200	0.000	24.700
		92	धार(बेलथड)	75	55.300	47.300	5.600	108.200
		93	पीपरी बोरबन	78	22.400	13.900	1.600	37.900
		94	सागमली	76	24.200	21.500	1.200	46.900
		95	सातोड	81	8.000	2.500	0.000	10.500
		96	चौखंडा	81	0.000	1.600	0.000	1.600
		Center Total			133.600	107.500	8.400	249.500
0503	शेखपुरा							
		97	शेखपुरा	80	8.000	9.600	1.500	19.100
		98	दाहिन्दा	80	11.200	5.000	0.000	16.200
		99	दैव्यत	90	19.400	22.400	1.600	43.400
		100	डवाली	103	0.000	0.800	1.600	2.400
		101	ढाकना	83	6.000	0.000	0.000	6.000
		102	गोद्री	95	8.800	11.600	0.000	20.400
		103	परेठा	85	8.800	11.600	7.600	28.000
		104	रायपुर	90	29.000	38.400	5.800	73.200
		105	रामाखेडा	85	1.600	4.800	0.000	6.400
		106	साजनी	83	13.400	9.200	0.000	22.600
		107	सेंधवाल	95	16.700	15.200	5.500	37.400
		108	डांगुल्ला	100	1.800	1.600	0.000	3.400
		109	तेलियाथड	90	1.200	0.000	0.000	1.200
		110	झारीखेडा	91	2.400	1.000	0.000	3.400
		Center Total			128.300	131.200	23.600	283.100
Gut योग -				469.300	380.900	36.100	886.300	
06	हैदरपुर							
0601	हैदरपुर							

## नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित,

नवलनगर ४५०३३१ जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

गन्ना पिराई सत्र 2019 - 2020

## Cropersie Reserve Cane Area

प्रिंट तारिख : 08/09/2019

गट क्र.	गट नाम	सेन्टर क्र.	सेन्टर नाम	रकबा ( हेक्टर ) में	जडी (दुरी )	तिरी	पेज नं : 5	योग
		111	डालमह	43	21.300	1.200	0.000	22.500
		112	घाघरला	48	7.300	6.600	0.000	13.900
		113	हैदरपुर	40	55.200	9.300	0.000	64.500
		114	हिवरा	42	23.700	10.900	0.000	34.600
		<b>Center Total</b>			<b>107.500</b>	<b>28.000</b>	<b>0.000</b>	<b>135.500</b>
0602	डाभियाखेडा							
		115	बडीखेडा	43	81.000	21.800	1.000	103.800
		116	डाभियाखेडा	40	60.600	45.800	0.000	106.400
		117	पांचइमली	45	38.700	11.300	0.000	50.000
		<b>Center Total</b>			<b>180.300</b>	<b>78.900</b>	<b>1.000</b>	<b>260.200</b>
0603	नावरा - A							
		118	नावरा	45	64.200	10.500	0.800	75.500
		119	रहमानपुरा	47	21.000	21.200	0.000	42.200
		120	सिंघखेडा (नावरा)	48	38.100	4.900	0.000	43.000
		121	घमनपुर	48	1.600	0.000	0.000	1.600
		<b>Center Total</b>			<b>124.900</b>	<b>36.600</b>	<b>0.800</b>	<b>162.300</b>
0604	नावरा - B							
		122	द्रधिया	47	51.300	30.000	0.000	81.300
		123	दर्यापुर (नावरा)	54	32.100	4.300	0.000	36.400
		124	गोराडिया	46	60.500	27.000	0.000	87.500
		125	नयाखेडा	52	43.800	27.700	1.100	72.600
		<b>Center Total</b>			<b>187.700</b>	<b>89.000</b>	<b>1.100</b>	<b>277.800</b>
0605	नेपानगर - A							
		126	अंधारबाडी	30	83.300	18.100	0.000	101.400
		127	भातखेडा (सीवल)	27	34.800	6.300	0.000	41.100
		128	बीड़ (नेपा)	23	5.600	1.000	0.000	6.600
		129	नेपानगर	14	0.500	0.000	0.000	0.500
		130	सातपायरी	28	48.000	8.100	0.000	56.100
		<b>Center Total</b>			<b>172.200</b>	<b>33.500</b>	<b>0.000</b>	<b>205.700</b>
0606	सीवल							
		131	बदनापुर	26	22.100	0.600	0.000	22.700
		132	बाकडी	40	13.000	1.000	0.000	14.000
		133	सीवल	29	36.700	5.800	0.000	42.500
		134	चैनपुरा	30	0.800	0.000	0.000	0.800
		<b>Center Total</b>			<b>72.600</b>	<b>7.400</b>	<b>0.000</b>	<b>80.000</b>
0607	पलासुर-A							
		135	पलासुर	35	113.900	5.200	0.000	119.100
		136	सोनुद	32	1.800	1.100	0.000	2.900
		<b>Center Total</b>			<b>115.700</b>	<b>6.300</b>	<b>0.000</b>	<b>122.000</b>
0608	नेपानगर - B							
		137	बोरसल (चांदनी)	20	10.600	0.000	0.000	10.600
		138	चाँदनी	18	1.400	3.000	0.000	4.400

नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित,  
नवलनगर ४५०३३१ जिला बुरहानपुर (म.प्र.)  
गन्ना पिराई सत्र 2019 - 2020  
Cropersie Reserve Cane Area

प्रिंट तारीख : 08/09/2019

गट क्र.	गट नाम	सेन्टर क्र.	ग्राम नाम	कारखाने से ग्रामों की दुरी (कि.मी.)	रोपा	रकबा ( हेक्टर ) में जड़ी (दुरी)	तिरी	पेज नं. 7	योग
		139	डवाली	35	27.700	7.500	0.000		35.200
		140	नावथा	40	32.200	19.400	0.000		51.600
		141	रतागढ	20	11.300	14.100	1.200		26.600
			<b>Center Total</b>		<b>83.200</b>	<b>44.000</b>	<b>1.200</b>		<b>128.400</b>
0609	केरपानी								
		142	गौलखेडा	56	13.000	7.500	0.000		20.500
		143	केरपानी	55	29.700	27.000	0.000		56.700
		144	मघगांव	51	15.100	7.500	0.000		22.600
		145	रत्नापुर	58	13.100	3.200	0.000		16.300
			<b>Center Total</b>		<b>70.900</b>	<b>45.200</b>	<b>0.000</b>		<b>116.100</b>
0610	पलासुर-B								
		146	साईखेडा (सीवल)	29	84.200	2.600	0.000		86.800
			<b>Center Total</b>		<b>84.200</b>	<b>2.600</b>	<b>0.000</b>		<b>86.800</b>
			<b>Gut योग -</b>		<b>1199.200</b>	<b>371.500</b>	<b>4.100</b>		<b>1574.800</b>
			<b>बुरहानपुर जिले का योग:-</b>		<b>2631.000</b>	<b>1327.300</b>	<b>53.700</b>		<b>4012.000</b>

प्रिंट तारीख : 08/09/2019

गट क्र.	गट नाम	सेन्टर क्र.	ग्राम नाम	कारखाने से ग्रामों की दुरी (कि.मी.)	रोपा	रकबा ( हेक्टर ) में जड़ी (दुरी)	तिरी	पेज नं. 8	योग
07	पंधाना								
	0701	आरुद							
		1	आरुद	35	15.500	3.400	0.000		18.900
		2	अंजनगांव	40	5.600	0.000	0.000		5.600
		3	धनोरा	37	2.800	0.000	0.000		2.800
		4	हीरापुर	37	8.800	0.000	0.000		8.800
		5	बाबली	37	4.000	0.000	0.000		4.000
			<b>Center Total</b>		<b>36.700</b>	<b>3.400</b>	<b>0.000</b>		<b>40.100</b>
	0702	कुमठी							
		6	बलरामपुर	38	1.200	0.000	0.000		1.200
		7	रुस्तमपुर	40	0.600	0.000	0.000		0.600
			<b>Center Total</b>		<b>1.800</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>		<b>1.800</b>
	0703	बोरगांव बुजुर्ग							
		8	बोरगांव बुजुर्ग	31	14.200	2.000	0.000		16.200
		9	हेमगीर	38	43.000	26.200	0.000		69.200
		10	खिराला	36	1.600	1.200	0.000		2.800
		11	पिपरहट्टी	35	8.000	1.600	0.000		9.600
		12	डोंगरगांव	41	10.800	1.400	0.000		12.200
		13	बदनापुर	45	1.000	0.000	0.000		1.000
		14	भगवनिया	38	1.000	0.000	0.000		1.000
			<b>Center Total</b>		<b>79.600</b>	<b>32.400</b>	<b>0.000</b>		<b>112.000</b>
08	पुनासा								
	0801	पुनासा							
		15	अट्टखास	125	0.000	3.000	0.000		3.000
		16	विष्णुमत्तपुरा	125	0.800	2.400	0.000		3.200
		17	धारकवाडी	110	0.000	2.400	1.000		3.400
		18	गुजरखेडी	130	6.000	0.000	2.000		8.000
		19	मुन्दी	100	2.800	10.000	1.200		14.000
		20	डुडगांव	122	1.200	3.000	0.000		4.200
		21	जुनापानी	130	3.000	1.600	0.000		4.600
		22	बवडिया	100	0.800	0.000	0.000		0.800
		23	नरत्नाय	125	6.000	0.000	0.000		6.000
		24	पलसूद रैयत	128	0.000	0.400	0.000		0.400
		25	रिछफल	135	4.800	0.000	0.000		4.800
			<b>Center Total</b>		<b>25.400</b>	<b>22.800</b>	<b>4.200</b>		<b>52.400</b>

0802	सुलगांव							
	26	गौल	120	1.200	0.000	0.000	1.200	
	27	हरवंशपुरा	125	0.000	3.600	0.000	3.600	
	28	कामनखेडा	125	6.400	6.400	0.000	12.800	
		<b>Center Total</b>		<b>7.600</b>	<b>10.000</b>	<b>0.000</b>	<b>17.600</b>	
		Gut योग -		<b>33.000</b>	<b>32.800</b>	<b>4.200</b>	<b>70.000</b>	
09	खण्डवा	खण्डवा						
	0901	29	बगमार	70	0.000	1.000	0.000	1.000
		30	जसवाड़ी	65	1.400	3.200	0.000	4.600
		31	ललवाड़ा	65	3.600	0.000	0.000	3.600
		32	शेखपुरा	65	0.000	1.600	0.000	1.600
		33	जामलीकला	65	3.200	2.000	0.000	5.200
		34	अमलपुरा	78	2.500	0.000	0.000	2.500
		35	कोलगांव	100	4.500	5.500	0.000	10.000
		<b>Center Total</b>		<b>15.200</b>	<b>13.300</b>	<b>0.000</b>	<b>28.500</b>	

नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित,  
नवलनगर ४५०३३१ जिला बुरहानपुर (म.प्र.)  
गन्ना पिराई सत्र 2019 - 2020  
Cropersie Reserve Cane Area

प्रिंट तारीख : 08/09/2019  
गट क्र. गट नाम सेक्टर क्र.

			रकबा ( हेक्टर ) में					
			रोपा	जड़ी (दुरी)	तिरी			
			कारखाने से ग्रामों की दुरी (कि.मी.)					
0902	सिंगोट							
		36	अम्बापाट	85	0.800	1.100	0.000	1.900
		37	बामंदा (खंडवा)	90	2.200	0.000	0.000	2.200
		38	बडगांव पिपलोद(ऐढा)	90	0.500	0.000	0.000	0.500
		39	हांडिया	110	1.000	1.600	0.000	2.600
		40	खिड़गांव	85	1.500	0.000	0.000	1.500
		41	कुमठा	100	1.000	0.000	0.000	1.000
		42	कालपाट (गान्धवा)	90	8.200	1.600	0.000	9.800
		43	पांगरा	105	1.200	0.500	0.000	1.700
		44	रामपुराकला	80	3.500	1.800	0.000	5.300
		45	सिंगोट	78	2.900	2.500	0.000	5.400
		46	सेमल्या (हांडीया)	100	0.000	2.000	0.000	2.000
		47	पिपलोद खास	90	0.000	2.000	0.000	2.000
		<b>Center Total</b>		<b>22.800</b>	<b>13.100</b>	<b>0.000</b>	<b>35.900</b>	
0903	छेगांवमाखन							
		48	बरुड	70	0.500	0.000	0.000	0.500
		<b>Center Total</b>		<b>0.500</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.500</b>	
		Gut योग -		<b>38.500</b>	<b>26.400</b>	<b>0.000</b>	<b>64.900</b>	
10	छनेरा	छनेरा						
	1101	49	मलगांव	130	0.800	0.000	0.000	0.800
		50	उन्डेल	90	2.000	5.200	0.800	8.000
		51	जामन्या सरसरी	130	0.800	0.000	0.000	0.800
		<b>Center Total</b>		<b>3.600</b>	<b>5.200</b>	<b>0.800</b>	<b>9.600</b>	
		Gut योग -		<b>3.600</b>	<b>5.200</b>	<b>0.800</b>	<b>9.600</b>	
		खण्डवा जिले का योग:-		<b>193.200</b>	<b>100.200</b>	<b>5.000</b>	<b>298.400</b>	

253.60

उप संचालक, गन्ना कृषि.

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण  
(574, साउथ सिविल लाईन्स, चपेमढी जबलपुर, 482001)

**MADHYA PRADESH LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR**

Jabalpur, the 31st October 2019

**AMENDED NOTIFICATION**

**No. F. No.71-B /Lok Ada (PUS)/ SLSA/2019-** In exercise of the powers conferred under Section 22-B of the Legal Services Authorities Act, 1987 (as amended by Central Act No. 37 of 2002 and hereinafter referred to as the Act) the Madhya Pradesh State Legal Services Authority makes the following amendment in the previous Notification No. Endt. F.No. 71/LA/SLSA/1125/2008 dated 20.12.2008 regarding appointment of the Chairman of Permanent Lok Adalats:-

In place of "First Additional District Judge" in Column 3 of the Table under the caption 'Designation of the Officer' the following be inserted:

"Secretary District Legal Services Authority cum Addl. District Judge of Concerned District"

Accordingly, the amended table shall be

**TABLE**

S. No.	Place of the permanent Lok Adalat	Designation of the Officer	Nominated Designation	Area in which permanent Lok Adalat shall exercise jurisdiction
1	2	3	4	5
1	Each District of the State of M.P.	1. Secretary District Legal Services Authority Cum Addl. District Judge of Concerned District 2. Chief Medical & Health Officer, 3. Executive Engineer (Civil) PWD.	Chairman Member Member	Whole of the Civil District

By order of Chief Justice & Patron in chief,  
GIRIBALA SINGH, Member.-Secy.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 96-अ-82-18-19-7671

सागर, दिनांक 27 सितम्बर 2019

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत सरखेड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत सरखेड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : देवरी
  3. ग्राम : सरखेड़ा
  4. पट.ह.नं.- : 07
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.000 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्ट.में)	अर्जित भूमि रकवा (हेक्ट. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	दुरगसींग वल्द सरुप सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	109/1	0.830	0.130	
2	केहरसींग वल्द सरुप सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	109/2	0.830	0.030	
3	संतोषरानी वेवा दीनदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	105/2	0.230	0.020	

4	सुखदेव पिता षंकरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	107/1	0.230	0.040
5	चन्द्ररानी पति षंकरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	107/2	0.640	0.090
6	दरयावसींग, गोविन्दसींग, महेन्द्र सिंह पिता मिहरबानसिंह श्रीदुलैया वेवा मिहरबान सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	99	6.700	0.380
7	हीरासींग पिता षंकरसींग जाति राजपूत साकिन सागर म.प्र.	भूमिस्वामी	106/2	0.810	0.020
8	रघुवीर सिंह, श्यामसुन्दर, मनमोहन सिंह, जगदीश वल्द प्रीतम सिंह चन्द्रभानसिंह, राजेश सिंह पिता रामअवतार, कलावती पुत्री रामअवतार, राधारानी वेवा रातअवतार साकिन देह	भूमिस्वामी	100	1.000	0.140
9	रूपसिंह नाबालिग वल्द दरयाव बलवीर नाबालिग वल्द गोविन्द सिंह उदयभान नाबालिग वल्द महेन्द्र सिंह वली दरयाव सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	56/1	2.000	0.360
10	शत्रुघन वल्द रंजोर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	60/1	0.420	0.130
11	प्रतापसींग वल्द रंजोर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	60/2	2.27	0.050
12	हरलाल उर्फ हल्लेसिंह पिता भुजबल सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	64/1	0.620	0.060
13	जोगेन्द्रसिंह वल्द कुंवरसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	64/2	0.450	0.050
14	कुरसिंह वल्द भुजबल सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	64/3	0.530	0.050
15	रुकमणीबाई वेवा प्रहलाद सिंह, भगबाई, कृष्णाबाई पुत्री प्रहलाद सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	68	1.950	0.190
16	भागबाई, कृष्णबाई पुत्री प्रहलाद सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	69	2.020	0.190
		भूमिस्वामी	88	0.540	0.050
17	धर्मराज वल्द हिमालयसिंह जाहरसिंह वल्द बदनसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	87	1.190	0.060
18	मुलाबाई जोजे द्वारका साकिन देह	भूमिस्वामी	137	1.650	0.090
		भूमिस्वामी	139	0.950	0.110
19	द्वारका सिंह पिता राजाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	138	0.200	0.020
20	गजेन्द्र सिंह पिता मलखान सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	142/1	0.340	0.060
21	गजेन्द्र सिंह पिता मलखान सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	143/2	1.210	0.120
22	केहरसींग वल्द सरूपसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	144/1	0.180	0.070

23	ब्रजेन्द्र पिता केहर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	144/5	0.160	0.020	
24	रेशम, सावित्रीरानी गायत्री पुत्री राजाराम, द्वारका, भगवानसींग, शेवसींग पिता राजाराम साकिन देह		157	0.770	0.070	
25	राजेन्द्र पिता द्वारका भाग 1/3, कीरतसींग पिता द्वारका भाग 1/3, चित्रभानसींग पिता द्वारका भाग 1/3, जाति दांगी साकिन सागर म.प्र.	भूमिस्वामी	156	0.880	0.050	
26	मानसींग, सुरजीजसिंह नाबालिग वल्द हनमत सिंह सपना नाबालिग पुत्री हनमत सिंह वली माँ कौशिल्याबाई पति हनमत सिंह साकिन शुक्वारी टोरी सागर	भूमिस्वामी	146	2.180	0.080	
27	रमेशचंद वल्द खुन्नेलाल साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	154	1.170	0.140	
		भूमिस्वामी	153	1.170	0.100	
28	अशोक, राजेश, कमलेश, अनिल, संतोष, पुष्पेन्द्र पिता मुलामचंद्र, प्रभाबाई वेवा मुलामचंद्र साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	348	2.410	0.030	
<b>योग:-</b>			<b>31</b>	<b>36.530</b>	<b>3.000</b>	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सुजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 36-अ-82-18-19-7713

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं जरूवा माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं जरूवा माइनर नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : केसली
  3. ग्राम : चिरई
  4. पट.ह.नं.- : 22
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.03 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	कैलाश वल्द परसराम, सुरेन्द्र वल्द राजकुमार, सत्यभान, वीरेन्द्र सिंह नाबालिग वल्द रघुनाथ वली पिता रघुनाथ सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	52	2.330	0.200	
2	रघुनाथ सिंह, राजकुमार सिंह, कैलाश सिंह पिता परसराम साकिन देह	भूमिस्वामी	76	1.5630	0.050	
3	महाराज सींग पिता खिलानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	151	0.310	0.030	

4	मलखान, हरनाम पिता प्रेमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	173/1	0.400	0.100
5	हरगोविन्द वल्द जमना प्रसाद साकिन महका	भूमिस्वामी	283/1	0.400	0.040
6	राजकुमार वल्द परसराम साकिन देह	भूमिस्वामी	289/1	0.670	0.070
7	लोकेन्द्र सिंह वल्द कैलाश सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	289/3	0.670	0.040
8	चन्द्ररानी जोजे मुलामसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	292/2	1.210	0.130
9	प्रीतम, इन्द्राजसींग, वीरेन्द्रसींग वल्द मुलामसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	292/3	1.000	0.090
10	आशुतोष, अभिनाथ नाबालिग वल्द व वली राजेश वल्द पुरुषोत्तम साकिन जैतपुर	भूमिस्वामी	292/6	0.600	0.070
11	परसोत्तम वल्द बाबूलाल साकिन जैतपुर	भूमिस्वामी	292/7	0.160	0.020
12	राजेश कुमार वल्द पुरुषोत्तम साकिन जैतपुर	भूमिस्वामी	293	1.150	0.180
13	बदनसींग पिता कल्यानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	152/1	0.140	0.010
योग:-			13 किता	10.603	1.03

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 31-अ-82-19-20-8564

सागर, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंदनी जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 370 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन मुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (i) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मंदनी जलाशय नहर निर्माण  
 (2) भूमि का विवरण  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : देवरी  
 3. ग्राम : बेरसला  
 4. पट.ह.नं.- : 65  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.390 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	कड़ोरी वल्द कन्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	233/1	0.720	0.120	कृषि
2	मनीष कुमार पिता रामनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	233/2	0.560		कृषि
3	देवी वल्द रगवर साकिन देह	भूमिस्वामी	232/1	1.130	0.200	कृषि
4	विन्द्रावन वल्द मनीराम साकिन बरोदा	भूमिस्वामी	232/2	1.130		कृषि
5	नरेश कुमार वल्द ज्ञानचंद साकिन रसेना	भूमिस्वामी	234	0.530	0.250	कृषि
6	रगवीर वल्द कन्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	235/1	0.350	0.060	कृषि
7	कड़ोरी पिता कन्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	235/2	0.150		कृषि
8	मनीष कुमार पिता रामनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	235/3	0.150		कृषि
9	प्रशोत्तम पिता कन्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	240/1	1.070	0.110	कृषि
10	मनीष कुमार पिता रामनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	240/2	0.200		कृषि
		भूमिस्वामी	240/3	0.200		कृषि
11	पुट्टी वल्द छुट्टी साकिन देह	भूमिस्वामी	249	0.750	0.110	कृषि
12	प्रताप कुमार पिता आमचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	253	0.750	0.110	कृषि
13	चतुर्भुज नाबालिग वल्द व वली भागीरथ वल्द मिट्टू साकिन देह	भूमिस्वामी	254	0.750	0.110	कृषि
14	गोविन्द पिता छोटेलाल साकिन बेरसला देवरी	भूमिस्वामी	263/1	0.620	0.030	कृषि
15	बलराम पिता छोटेलाल साकिन बेरसला देवरी	भूमिस्वामी	263/2	0.630		कृषि
16	मंगू पुत्र छोटेलाल साकिन बेरसला देवरी	भूमिस्वामी	263/3	0.630		कृषि
17	बाबूलाल वल्द रामा साकिन रसेना	भूमिस्वामी	264	0.820	0.220	कृषि
18	राजू बाबू पिता रामा विनीता गुड्डडी ममता पुत्री रामा जयाबाईवा रामा साकिन देह	भूमिस्वामी	265	0.890	0.070	कृषि
19	विजयसींगवल्द इमरत साकिन देह	भूमिस्वामी	266	0.600	0.070	कृषि

20	गोविन्द सींगवल्द भगवानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	267	1.010	0.070	कृषि
21	रामा वल्द भगवान जैबाई पति भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	273	2.670	0.440	कृषि
22	झिरीराम धनीराम वल्द चिन्ता कमला फूला पुत्री चिन्ता भगवानदास अद.आ.लूला पा. एवं स्वयं मी सदारानी वेवा लूला गुलाबबाई गीताबाई कमलाबाई पुत्री लूला साकिन देह	भूमिस्वामी	274	0.950	0.22	कृषि
23	झिरीराम धनीराम वल्द चिन्ता कमला लूला पुत्री चिन्ता भगवानदास अद.आ.लूला पालक एवं स्वयं मी सदारानी वेवा लूला गुलाबबाई गीताबाई कमलाबाई पुत्री लूला साकिन रसेना रामदयाल वल्द नंदराम रतन शिबू वल्द गुपाल शिवदयाल लक्ष्मण वल्द गुलू साकिन खजुरिया	भूमिस्वामी	275	0.360	0.110	कृषि
		भूमिस्वामी	276	0.350	0.090	कृषि
24	छोटीबाई वेवा रामप्रसाद रामकेश नाबालिग भूपेन्द्र नाबालिग दुर्गाश नाबालिग वल्द रामप्रसाद वली मी छोटीबाई साकिन देह	भूमिस्वामी	285/1	1.030	0.240	कृषि
25	प्रताप वल्द भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	285/2	2.810		कृषि
26	बलवृत्तसींग वल्द लक्ष्मणसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	287	3.400	0.160	कृषि
27	रामकली पति प्रहलाद साकिन रसेना	भूमिस्वामी	310/1	0.850	0.230	कृषि
		भूमिस्वामी	310/3	1.410		कृषि
28	साधुरामवल्द छुट्टी साकिन देह	भूमिस्वामी	310/2	0.830		कृषि
29	द्वारका रामकिशन दुर्गा पिता जयराम गुडडीबाई मालतीबाई रामतीबाई हरिबाई पुत्री जयराम लाली वेवा जयराम साकिन देह	भूमिस्वामी	311	1.000	0.190	कृषि
30	बतीबाई वेवा ललजू शंकर वल्द ललजू सकुण गोदाबाई विनोदबाई पुत्री ललजू साकिन बिजौरा	भूमिस्वामी	312	0.570	0.130	कृषि
31	मलखान वल्द परम साकिन देह	भूमिस्वामी	314	0.360	0.050	कृषि
योग:-				30.230	3.390	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर की अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलिंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 43-अ-82-19-20-8565

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 कंसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 कंसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण  
 (2) भूमि का विवरण  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : ~~देह~~  
 3. ग्राम : सोनपुर  
 4. पट.ह.नं.- : 13  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.620 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	नंदकिशोर वल्द दयाली साकिन देह	भूमिस्वामी	52	0.700	0.030	
		भूमिस्वामी	86/1	0.090	0.040	
2	फागू वल्द ग्याप्रसाद साकिन जनकपुर	भूमिस्वामी	53	0.450	0.030	
		भूमिस्वामी	54/3	0.430	0.100	
3	कमलरानी पति नंदकिशोर साकिन देह	भूमिस्वामी	57/1	1.160	0.100	
4	सुभाषचंद वल्द नाथूराम साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	86/2	0.590	0.090	
		भूमिस्वामी	122/1	1.160	0.100	
5	मिहीलाल वल्द तुलसीराम साकिन जनकपुर	भूमिस्वामी	121/1	1.040	0.090	
		भूमिस्वामी	122/2	0.170	0.020	
6	चतुर्भुज वल्द मिहीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	121/2	1.040	0.100	
7	रेवाराम गुलाबसींग बालीप्रसाद पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	121/3	0.040	0.010	
		भूमिस्वामी	125/1	2.080	0.140	
8	रेवाराम, गुलाबसींग वाली प्रसाद पिता बाबूलाल गुलाबबाई, खरपाबाई वेवा बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	125/2	0.180	0.050	
		भूमिस्वामी	127	3.690	0.120	
9	रेवाराम वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	128/1	2.050	0.100	
10	गुलाबसींग वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	128/2	2.050	0.150	



11	बालीप्रसाद वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	128/3	2.060	0.050
		भूमिस्वामी	130/6	0.180	0.030
12	रमेश वल्द जगमोहन साकिन जनकपुर	भूमिस्वामी	130/2	0.310	0.040
13	वीरेन्द्र कुमार वल्द शीतलचंद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	130/3	0.220	0.030
14	गजराज गौरीशंकर पिता मनमोद साकिन जनकपुर	भूमिस्वामी	131/1	1.890	0.200
योग:-			21	21.580	1.620

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई : संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 83-अ-82-19-20-8566

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : केसली
  3. ग्राम : नयानगर
  4. पट.ह.नं.- : 18
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 4.810 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	दिनेश कुमार पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	95/1	2.120	0.110	
2	प्रहलाद पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	95/3	0.120	0.010	
3	अजयपाल पिता द्वारका साकिन देह	भूमिस्वामी	96/2	2.000	0.130	
4	आशाराम अंबिका प्रसाद, कमलसिंह वल्द लक्ष्मीप्रसाद साकिन बम्हनी	भूमिस्वामी	96/4	1.740	0.130	
5	विनोद कुमार पिता गोकलचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	97/3	2.000	0.200	
6	नीलेश कुमार, निरंजन कुमार वल्द चक्रेश कुमार सा. देह	भूमिस्वामी	97/4	0.700	0.080	
7	हर्षित कुमार नाबालिग वल्द व वली राकेश कुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	97/5	0.490	0.050	
8	यशवंत पिता ग्याप्रसाद साकिन पटनाखुर्द	भूमिस्वामी	98/1	1.110	0.100	
9	खुमान वल्द ग्याप्रसाद साकिन पटनाखुर्द	भूमिस्वामी	98/2	0.900	0.080	
		भूमिस्वामी	99	0.200	0.030	
10	करनसींग वल्द ग्याप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	98/3	0.810	0.160	
11	श्री देव पारसनाथजी मंदिर बांके देह मुह. प्रकाशचंद वल्द गुलझारीलाल प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	149	5.210	0.180	

12	श्री देव जानकीरमण जी मंदिर मुह. द्वारका प्रसाद वल्द गजाधर प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	156	5.200	0.500	
		भूमिस्वामी	21	2.500	0.280	
13	टीकाराम वल्द बाबूलाल साकिन मंछका	भूमिस्वामी	180/1	0.320	0.200	
14	रमेश, लेखन, लक्ष्मन, गौरीशंकर, रामदास, संतोष पिता टीकाराम साकिन महका	भूमिस्वामी	182/3	1.110	0.150	
15	सीताराम उर्फ हेमराज वल्द महाराज सिंह सा. जनकपुर	भूमिस्वामी	183/2	0.260	0.070	
		भूमिस्वामी	184	0.650	0.100	
16	बिजेन्द्र नाबालिग वल्द मिहरबान वली माँ व खुद तिलकरानी वेवा मिहरबान साकिन देह	भूमिस्वामी	187/2	1.200	0.080	
17	जाहरसींग वल्द वासुदेव साकिन जनकपुर	भूमिस्वामी	187/3	1.190	0.130	
18	वल्देव वल्द निरपत साकिन जनकपुर	भूमिस्वामी	188	0.780	0.020	
19	राजेन्द्र नाबालिग वल्द व वली दौलत सिंह सा. जनकपुर	भूमिस्वामी	189	0.590	0.130	
20	महाराज सिंह पिता शिवदयाल साकिन जनकपुर	भूमिस्वामी	190/1	2.380	0.070	
21	हरनाम वल्द हरगोविन्द साकिन देह	भूमिस्वामी	320/2	1.24	0.040	
22	हरिओम वल्द हरगोविन्द सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	320/3	0.600	0.040	
23	थानसींग वल्द खानजू साकिन देह	भूमिस्वामी	323	4.460	0.180	
24	कैलाश पिता शेवसींग लोधी साकिन पटनाखुर्द	भूमिस्वामी	348/1	2.450	0.080	
25	रामकृष्ण पिता शेवसींग लोधी साकिन पटनाखुर्द	भूमिस्वामी	348/2	2.450	0.080	
26	श्री देवराज राजेन्द्र पिता गंगासिंह, लीलावती, आरती पुत्री गंगासिंह, रामरानी वेवा गंगासिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	349/3	0.420	0.030	
27	दशरथ पिता करन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	349/4	0.420	0.030	
28	प्रेम, निजाम, शोभाराम पिता मोहनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	350/1	0.180		
29	शिवदयाल पिता हेमराज, देवराज पिता गंगाधर, दशरथ पिता करनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	350/2	0.600	0.060	
30	गनेशीबाई केशरबाई पुत्री परमानंद साकिन देह	भूमिस्वामी	351	0.400	0.050	
31	तखतसहि पिता रघुनाथ सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	352	3.930	0.270	
32	डोरीलाल वल्द भागीरथ, मल्लीबाई पुत्री रामचंद्र वल्दुआ वल्द नथू, रामाप्रसाद वल्द लक्ष्मीप्रसाद मुन्नालाल वल्द बाबूलाल साकिन पटनाखुर्द	भूमिस्वामी	22/1	0.350	0.010	
33	रूपरानी जोजे टीकाराम साकिन पटनाखुर्द	भूमिस्वामी	159	0.850	0.100	
34	पप्पू हल्कू, डोमनवीर पिता रामप्रसाद, कुवरबाई, हीराबाई पुत्री रामप्रसाद, इन्द्रानी वेवा रामप्रसाद, साकिन देह	भूमिस्वामी	160/1	0.740		0.100
35	रमेश पिता टीकाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	160/2	0.100		
36	रूपरानी पति टीकाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	160/3	0.120		
37	बल्कुआ वल्द नत्था साकिन देह	भूमिस्वामी	165	0.530	0.040	
		भूमिस्वामी	166/2	0.290	0.090	
38	श्री देव जानकीरमण जी मंदिर मुह. कमलेश पिता देवीसींग प्रबंधक कलेक्टर, सागर	भूमिस्वामी	167	3.670	0.250	
39	रामनारायण पिता जवाहर साकिन पटनाखुर्द	भूमिस्वामी	170/1	0.790	0.060	
40	अजय कुमार नाबालिग वल्द रामनारायण, रामकुमार नाबालिग वल्द तुलसीराम वली तुलसीराम साकिन पटनाखुर्द	भूमिस्वामी	170/2	0.110		
		भूमिस्वामी	170/3	0.240	0.060	
		भूमिस्वामी	170/4	0.120		
41	अजय, इन्द्रपाल नाबालिग वल्द रामनारायण वली चाचा तुलसीराम रामकुमार नाबालिग वल्द तुलसीराम साकिन महका	भूमिस्वामी	170/5	0.320	0.060	
42	नंदराम वल्द भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	172/4	0.700	0.080	
43	भगवान सिंह इन्दर सिंह, गोविन्द कुन्जीलाल, पन्नालाल पिता रामनाथ साकिन पटनाखुर्द	भूमिस्वामी	173/1	1.28	0.110	
योग:-			49	60.940	4.810	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 47-अ-82-17-18-8815

सागर, दिनांक 29 अक्टूबर 2019

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : केसली
  3. ग्राम : महका
  4. पट.ह.नं.- : 19
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.100 है.

### :: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मनोहर वल्द विष्णु साकिन देह	भूमिस्वामी	58/1	1.060	0.200	
		भूमिस्वामी	83/2	0.400	0.020	
2	वल्देव वल्द बालकिशुन साकिन देह	भूमिस्वामी	59/1	1.240	0.120	
3	राजधर पिता बालकिशुन साकिन देह	भूमिस्वामी	59/4	1.230	0.160	
4	रामनिवास पिता घसीटे साकिन देह	भूमिस्वामी	78/3	0.800	0.080	
5	रामनिवास पिता घसीटे साकिन देह	भूमिस्वामी	79	0.890	0.080	
6	सोनाबाई पुत्री सरमन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	80/4	0.810	0.020	
		भूमिस्वामी	81	1.550	0.060	
7	नन्हेभाई पिता टीकाराम लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	84/2	0.200	0.120	
		भूमिस्वामी	85/1	1.810	0.130	
8	जगदीश, रामेश्वर, द्वारका पिता शंभूदयाल, लीलावती, सावित्री, हरीबाई पुत्री शंभूदयाल, श्यामरानी वेवा शंभूदयाल, प्रभू, कमल वल्द ग्याप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	148/1	0.500	0.030	
		भूमिस्वामी	149	1.430	0.070	
9	दुरगसिंह वल्द विष्णु साकिन देह	भूमिस्वामी	148/2	0.460	0.140	

2

10	जगदीश वल्द रामप्रसाद साकिन महका	भूमिस्वामी	154/1	1.410	0.090
11	रामेश्वर वल्द रामप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	154/2	1.420	0.140
12	छोटेलाल वल्द विष्णु साकिन देह	भूमिस्वामी	156/1	0.850	0.040
		भूमिस्वामी	157	0.630	0.060
13	कमलबाइ पति अजुद्धी साकिन देह	भूमिस्वामी	195	0.350	0.120
14	निर्मल कुमार पिता लालचंद जैन साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	197/1	0.540	0.030
		भूमिस्वामी	199	0.780	0.070
15	श्रीदेव पारसनाथ मंदिर मौजा देह मुह. संतोष कुमार वल्द गुलझारीलाल, धरमचंद वल्द अयोध्या प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	197/4	0.400	0.020
16	रमेश प्रसाद उर्फ रामप्रसाद पिता भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	197/5	0.140	0.040
17	श्यामरानी पति दुरगसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	197/6	0.320	0.040
18	संतोष कुमार, अमरचंद, अनिल कुमार, अशोक कुमार पिता गुलझारीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	200	0.800	0.090
19	संतोष कुमार, अमरचंद, अनिल कुमार, अशोक कुमार पिता गुलझारीलाल, शीलरानी देवा गुलझारीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	201	1.270	0.040
		भूमिस्वामी	202	1.090	0.140
20	जीवन सिंह पिता भैयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	203/1	0.100	0.030
		भूमिस्वामी	215/2	0.510	0.060
21	परसराम पिता भैयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	204/3	0.360	0.090
22	बारेलाल वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	203/2	0.810	0.060
23	बारेलाल वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	215/1	0.600	0.080
24	टीकाराम वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	204/1	1.840	0.180
25	रामनारायण पिता जवाहर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	204/4	0.920	0.180
26	द्वारका वल्द हरप्रसाद साकिन पटनाखुर्द	भूमिस्वामी	216	0.590	0.030
27	बैजनाथ पिता उमराई साकिन देह	भूमिस्वामी	206	4.850	0.240
योग:-			35	32.960	3.100

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

[देखिये धारा 25)]

क्र. 16-अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-8728

सागर, दिनांक 1 नवम्बर 2019

मौजा भूलनाभानगढ़ पट.ह.नं.-09 तहसील राहतगढ़

बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध निर्माण हेतु मौजा भूलनाभानगढ़ पटवारी हल्का नंबर-09 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16अ/82/17-18 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना क्रमांक-16अ/82/17-18/7058 सागर, दिनांक 27/06/2018 जारी की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 26/06/2019 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने के परिणामस्वरूप धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास के भीतर प्रकरण में धारा 23 के तहत अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 25 के परंतु के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 12-अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-8729

मौजा हंसरई पट.ह.नं.-28 तहसील राहतगढ़

बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध निर्माण हेतु मौजा हंसरई पटवारी हल्का नंबर-28 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12अ/82/17-18 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना क्रमांक-12अ/82/17-18/10520 सागर, दिनांक 20/09/2018 जारी की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 19/09/2019 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने एवं माह जुलाई-2019 से लगातार अत्याधिक वर्षा होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण नहीं किया जा सका है जिसके परिणामस्वरूप धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास के भीतर प्रकरण में धारा 23 के तहत अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 06-अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-8730

मौजा बिलासपुर पट.ह.नं.-27 तहसील राहतगढ़

बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध निर्माण हेतु मौजा बिलासपुर पटवारी हल्का नंबर-27 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06अ/82/17-18 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना क्रमांक-06अ/82/17-18/10518 सागर, दिनांक 20/09/2018 जारी की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 19/09/2019 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने एवं माह जुलाई-2019 से लगातार अत्याधिक वर्षा होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण नहीं किया जा सका है जिसके परिणामस्वरूप धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास के भीतर प्रकरण में धारा 23 के तहत अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 25 के परंतु के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 10-अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-8731

मौजा भामरा पट.ह.नं.-09 तहसील राहतगढ़  
बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध निर्माण हेतु मौजा भामरा पटवारी हल्का नंबर-09 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10अ/82/17-18 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना क्रमांक-06अ/82/17-18/10514 सागर, दिनांक 20/09/2018 जारी की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 19/09/2019 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने एवं माह जुलाई-2019 से लगातार अत्याधिक वर्षा होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण नहीं किया जा सका है जिसके परिणामस्वरूप धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास के भीतर प्रकरण में धारा 23 के तहत अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 25 के परंतु के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 130-अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-8732

मौजा बेहटा अलीनगर पट.ह.नं.-29 तहसील राहतगढ़  
बीना परियोजनांतर्गत मढ़िया बांध निर्माण हेतु मौजा बेहटा अलीनगर पटवारी हल्का नंबर-29 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 130अ/82/17-18 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-12अ/82/17-18/8762 सागर, दिनांक 27/08/2018 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 26/08/2019 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने के कारण प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के परंतु-2 के तहत प्रकरण में धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 34-अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-8734

बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध निर्माण हेतु मौजा मुड़ियामेड़ा पटवारी हल्का नंबर-29 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34अ/82/17-18 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना क्रमांक-34अ/82/17-18/7061 सागर, दिनांक 27/06/2018 जारी की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 26/06/2019 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने के परिणामस्वरूप धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास के भीतर प्रकरण में धारा 23 के तहत अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 25 के परंतु के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 09-अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-8735

मौजा पोपलखेड़ी पट.ह.नं.-09 तहसील राहतगढ़  
बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध निर्माण हेतु मौजा पोपलखेड़ी पटवारी हल्का नंबर-09 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09अ/82/17-18 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना क्रमांक-09अ/82/17-18/10516 सागर, दिनांक 20/09/2018 जारी की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 19/09/2019 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने एवं माह जुलाई-2019 से लगातार अत्याधिक वर्षा होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण नहीं किया जा सका है जिसके परिणामस्वरूप धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास के भीतर प्रकरण में धारा 23 के तहत अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।



क्र. 38-अ-82-18-19-8733

## :: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं पटना खुर्द माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं पटना खुर्द माईनर नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : केसली
  3. ग्राम : बमनी
  4. पट.ह.नं.- : 15
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.500 है.

## :: अनुसूची-1 ::

स. क.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्ट.में)	अर्जित भूमि रकवा (हेक्ट. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	राजकुमार पिता नारायण सींग, भगवतसींग पिता तुलसीराम माखन पिता तखतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	374/1	1.080	0.160	
		भूमिस्वामी	374/3	0.310	0.040	
		भूमिस्वामी	374/4	0.080	0.040	

		भूमिस्वामी	377	1.120	0.220	
2	रामनाथ पिता नारायण सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	386/1	0.990	0.080	
3	तुलसीराम पिता नन्हू साकिन देह	भूमिस्वामी	386/2	1.860	0.170	
4	तखत सींग पिता नन्हू साकिन देह	भूमिस्वामी	386/3	1.780	0.170	
5	राजकुमार पिता नारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	386/4	0.990	0.080	
6	सियारानी वेवा काभीराम,पार्वती पुत्री काभीराम, बैजनाथ वल्द गजराज,प्रहलाद पिता बैजराथ, भांकर,जयराम, वेदयाल,गोविंद,मीराबाई,कल्लोबाई पिता मिहरापसींग, बलराम पिता खिलान, सुखरानी वेवा खिलान, दुरगसींग पिता धोकलसींग रुपरानी वेवा धोकलसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	373	0.310	0.140	
7	भुवानी,परमलाल, मुन्ना पिता उमराई साकिन देह	भूमिस्वामी	374/2	0.960	0.160	
8	दलपा, द्वारका, दिल्ली, बन्दू पिता उमराई, भातिबाई,गुडडीबाई पिता उमराई साकिन देह	भूमिस्वामी	614/1	0.290	0.100	
9	कैला 1 पिता विन्द्रावन साकिन देह	भूमिस्वामी	649/1	0.220	0.060	
		भूगिरवागी	649/2	0.230	0.060	
10	का भीराम वल्द मोहन, तुलसीराम, नत्थीबाई पिता तुलसीराम, विवप्रसाद, सुन्दर पिता कच्छेदी, जयराम, दयाली पिता उदयराम, कुंवरबाई, पानबाई पिता उदयराम, वली माँ व खुद फूलरानी वेवा उदयराम, बलियाबाई, गने पी, मथुरा पिता दिबई, चित्तर, दुरजन, मुन्ना पिता विवप्रसाद, जगरानी वेवा विवप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	672	0.920	0.020	
योग:-			14	11.140	1.500	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 62-अ-82-17-18

सागर, दिनांक 7 नवम्बर 2019

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांयी मुख्य नहर की शाखा (गौरझामर) नहर एवं चौपड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांयी मुख्य नहर की शाखा (गौरझामर) नहर एवं चौपड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
- |                             |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| 1. जिला                     | : | सागर      |
| 2. तहसील                    | : | देवरी     |
| 3. ग्राम                    | : | घोषीपट्टी |
| 4. पट.ह.नं.-                | : | 04        |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 0.834 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्ट.में)	अर्जित भूमि रकवा (हेक्ट. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
<b>बांयी मुख्य नहर की शाखा (गौरझामर) नहर</b>						
1	राम पिता गुलाब सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	140/1	1.680	0.115	
2	राजेन्द्र पिता रणछोड़ी रोशनी प्रियंका पुत्री रणछोड़ी साकिन खामखेड़ा	भूमिस्वामी	140/2	0.530	0.070	

3	गोकल, धरमू, घनश्याम दुर्जन, रामदयाल पिता मोहन, दशोदा पुत्री मोहन, बबलू महेन्द्र पिता फूलसींग ललता वेवा फूलसींग मनोज, अमोल दम्पू धीरज पिता मुन्ना घसीटीबाई वेवा मुन्ना अहिरवार साकिन देह	भूमिस्वामी	141	1.500	0.165	
4	संतोष नाबालिग वल्द वली गोकल सिंह साकिन खामखेड़ा	भूमिस्वामी	183/3	0.600	0.021	
5	संजय कुमार वल्द शंकरलाल साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	182/1	0.800	0.040	
6	अनिल कुमार पिता खुशालचंद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	182/2	0.810	0.053	
		भूमिस्वामी	186/2	0.850	0.050	
7	विनोद कुमार, अजिल कुमार पिता खुशालचंद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	187	1.660	0.100	
<b>चौपड़ा माइनर नहर</b>						
8	सुधीर कुमार वल्द गोकलचंद साकिन गौरझामर.	भूमिस्वामी	213/3	1.600	0.120	
9	कुन्दनसींग वल्द गुलाबसींग साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	216/1	0.250	0.040	
		भूमिस्वामी	217	0.460	0.060	
<b>योग:-</b>			<b>11</b>	<b>10.700</b>	<b>0.834</b>	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 21-अ-82-17-18

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत जैतपुर कछया माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत जैतपुर कछया माईनर नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : देवरी
  3. ग्राम : जैतपुर कछया
  4. पट.ह.नं.- : 06
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 6.520 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्ट.में)	अर्जित भूमि रकवा (हेक्ट. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	करनसीग, घनश्याम, राजाराम, हीरालाल पिता पुट्टी, छुटनबाई पुत्री पुट्टी	भूमिस्वामी	561/1	0.410	0.120	

2	मितट्ट वल्द ललजू साकिन देह	भूमिस्वामी	565/1	0.940	0.130
3	कच्छेदी श्यामलाल पिता हीरा, सरस्वती सूरज पुत्री हीरा साकिन देह	भूमिस्वामी	564/1	1.330	0.140
4	प्रेम पिता रगवर साकिन देह	भूमिस्वामी	564/2	0.600	0.110
5	इमरत पिता रगवर साकिन देह	भूमिस्वामी	564/3	0.600	0.080
6	इमरत प्रेम पिता रगवर, काशीबाई मुला सोमत रमकल पुत्री रगवर ब्रजरानी वेवा रगवर साकिन देह	भूमिस्वामी	564/4	0.120	0.020
7	भागीरथ पिता दुरगसींग भाग 1/6, राधाबाई पुत्री दुरगसींग भाग 1/6, नन्हीबाई पुत्री दुरगसींग भाग 1/6, खिम्मा पुत्री कासीराम भाग 1/2 साकिन देह	भूमिस्वामी	534/1	0.760	0.160
8	भागीरथ वल्द दुरगसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	534/3	0.180	0.020
9	राजे खां पिता नजीर खां, जहूरन बी वेवा नजीर खां साकिन देह	भूमिस्वामी	527/1	2.160	0.170
10	रामसेवक वल्द गोरेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	527/3	1.000	0.190
11	संजयकुमार वल्द सुरेशकुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	525/1	1.760	0.160
12	सुजयकुमार वल्द सुरेशकुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	525/2	1.760	0.160
13	प्रहलाद वल्द डेलन सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	519/6	0.200	0.090
		भूमिस्वामी	519/7	0.200	0.060
14	कृष्णाबाई पति प्रहलाद साकिन देह	भूमिस्वामी	519/1	0.200	0.030
15	प्रभूसींग वल्द बाबूसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	517/2	1.200	0.270
		भूमिस्वामी	516/1	0.400	0.110
16	उपेन्द्र राघवेन्द्र पिता श्रीगोविन्द योगेश्वरी राजेश्वरी कमलेश्वरी पुत्री श्रीगोविन्द सीतारानी वेवा श्रीगोविन्द साकिन देह	भूमिस्वामी	515/1	0.510	0.070
17	मुलाम वल्द निरपंत साकिन देह	भूमिस्वामी	515/2	0.520	0.070
18	रामेश्वर वल्द महाराजसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	506	3.520	0.150
19	प्रकाश वल्द रामचरन साकिन देह	भूमिस्वामी	505	2.290	0.100
20	राकेश अनिलकुमार, अखलश, दिनेश, राजेश पिता त्रिलोकीनाथ, भागवती वेवा त्रिलोकीनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	504	2.150	0.170
21	देवीसींग वल्द दुरगसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	508/4	0.080	0.030
22	नन्नेलाल पिता मकुन्दी साकिन देह	भूमिस्वामी	620/1	0.850	0.100
23	जहरसींग वल्द दुरगसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	620/2	0.440	0.050
24	बबूसींग वल्द दुरगसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	620/3	0.440	0.050
25	सन्जय वल्द दुरगसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	620/5	0.440	0.050
26	लखन वल्द गुलाबसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	279/4	0.230	0.020
27	अरविन्द वल्द दयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	278/1	1.440	0.140
28	रामेश्वर पिता कल्यान साकिन देह	भूमिस्वामी	277/1	0.230	0.040
29	सीताराम पिता कल्यान साकिन देह	भूमिस्वामी	277/3	0.420	0.080
30	रामकिशन वल्द कल्यान साकिन देह	भूमिस्वामी	277/4	0.430	0.070
31	नन्हेभाई वल्द फागू साकिन देह	भूमिस्वामी	276	0.950	0.030
32	ब्रजमोहन मदनमोहन पिता भुवानीशंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	272	1.950	0.230

33	रश्मिबाई बेबा नारायण अंशुल ना.बा. पिता नारायण निकिता ना.बा. पुत्री नारायण बलि मां रश्मिबाई प्रीतम वल्द लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	273/1	1.020	0.030
34	ब्रजेन्द्र कुमार वल्द शिवराम साकिन देह	भूमिस्वामी	269	1.640	0.110
35	हेमराज वल्द नारायणसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	6/3	0.350	0.030
		भूमिस्वामी	38/2	0.460	0.030
36	बाबूलाल पिता कलपानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	40/1	1.480	0.120
37	देवीसिंग वल्द कल्याणसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	40/2	1.480	0.140
38	फूलरानी वेवा रामदयाल, कमलाबाई नाबालिग पुत्री रामदयाल वली मां फूलरानी, हीराबाई छोटा नाबालिग पिता परमू वली व खुद मां मुन्नीबाई वेवा परमू, फूलरानी वेवा बब्बू काशीराम, कालूराम पिता बब्बू, हीराबाई, मुलाबाई, छोटीबाई पुत्री बब्बू, श्यामाबाई वेवा मुल्ली, भगवानसींग रमेश, रघुवीर, शिबू, घण्टू पिता मुल्ली, सियाबाई, मुन्नीबाई पुत्री मुल्ली, मुन्नीबाई वेवा परमू फूलरानी वेवा बब्बू काशीराम, कालूराम पिता बब्बू, हीराबाई, मुलाबाई, छोटीबाई, पुत्री बब्बू, श्यामबाई वेवा मुल्ली, भगवानसींग, रमेश, रघुवीर, शिबू, घण्टू पिता मुल्ली सियाबाई, मुन्नीबाई साकिन देह.	भूमिस्वामी	42/1	1.030	0.090
39	सचिनसिंह, वल्द देवीसिंह, चंदनबाई जोजे देवीसिंह पता घोसीपट्टी	भूमिस्वामी	42/2	0.200	0.040
40	कुददा वल्द छिमाधर काशीबाई द्रोपती पुत्री छिमाधर साकिन देह	भूमिस्वामी	41/1	1.360	0.200
41	खुमान वल्द बेबजू साकिन देह	भूमिस्वामी	48	0.880	0.090
		भूमिस्वामी	52	1.120	0.090
42	अरुणकुमार वल्द प्रसन्नकुमार साकिन देह गौरझामर	भूमिस्वामी	49/1	1.810	0.280
43	राहुल नाबालिग वल्द कालीचरण वली नानी सेवकली पति हरिश्चंद साकिन खैराना	भूमिस्वामी	53/1	1.790	0.100
44	राजेन्द्रकुमार वल्द शिवराम साकिन देह	भूमिस्वामी	55/1	0.970	0.020
45	रामशंकर वल्द मुरलीधर साकिन देह	भूमिस्वामी	54	1.630	0.180
46	नन्नेलाल वल्द सूरतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	60	0.320	0.030
47	वाला वल्द कडोरी साकिन देह	भूमिस्वामी	65/2	0.600	0.050
48	कडोरी वल्द कुदरु साकिन देह	भूमिस्वामी	66	0.720	0.150
49	विजयकुमार वल्द नन्हेलाल साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	71/1	1.690	0.150
50	अजितकुमार वल्द नन्हेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	71/2	1.930	0.170
51	लक्ष्मीशंकर कमलनारायण, राजेश कुमार पिता राधेश्याम साकिन सरखेडा	भूमिस्वामी	95/1	1.420	0.110
52	मीणा बेबा पवन जाति जैन सा. सागर भाग 1/5, मनसी पुत्री पवन जाति जैन भाग 1/5, आकृति पुत्री पवन जाति जैन भाग 1/5, अदिति पुत्री पवन जाति जैन भाग 1/5, साकिन देह	भूमिस्वामी	90	1.990	0.040
		भूमिस्वामी	73/2	0.030	0.010
		भूमिस्वामी	71/4	0.190	0.010

53	देवीसींग पिता लालसींग जाति दांगी साकिन सागर	भूमिस्वामी	73/3	0.040	0.040
		भूमिस्वामी	74/3	0.040	0.040
54	राजा पिता राजकुमार जाति दांगी साकिन सागर	भूमिस्वामी	75/2	0.160	0.040
		भूमिस्वामी	77/2	0.060	0.010
55	ललसींग वल्द फूलसींग साकिन देह		89/1	2.200	0.030
56	शीलारानी वेवा दुर्गाप्रसाद, फूलचंद वल्द दुर्गाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	75/1	0.800	0.010
57	जीवन वल्द रेवाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	77/1	1.200	0.140
		भूमिस्वामी	78/2	1.210	0.010
58	दुर्गाप्रसाद वल्द जीवन साकिन देह	भूमिस्वामी	78/1	1.050	0.060
59	वीरेन्द्रकुमार वल्द गरीबदास साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	78/3	0.450	0.080
		भूमिस्वामी	78/5	0.400	0.020
60	संतोषकुमार वल्द कड़ोरीलाल, वीरेन्द्र कुमार वल्द गरीबदास	भूमिस्वामी	79	4.920	0.090
61	वीरेन्द्रसींग वल्द नरान सींग साकिन सरखेड़ा	भूमिस्वामी	81/1	1.630	0.190
62	दरोगा सिंह वल्द नरान सींग साकिन सरखेड़ा	भूमिस्वामी	81/2	1.800	0.020
योग:-			72	72.960	6.520

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक-भू-अर्जन 28 (अ-82)2019-20-124

डिण्डौरी, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

(अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका-11(1))

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार डिण्डौरी विकासखण्ड में स्थित भवरखण्डी जलाशय के नहर निर्माण कार्य से प्रभावित ग्राम बसनिया माल प.ह.न. 51 रा.नि.म. डिण्डौरी विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की आपसी सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है।

स. क.	ग्राम का नाम	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा हे. मे	वर्तमान मे अर्जित रकवा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
1	बसनिया माल	तितम्बर सिंह पिता थान सिंह	164	0.93 हे.	0.066 हे.	नहर निर्माण हेतु

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित से सम्बंधित दावा सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करे। नियत अवधि के बाद दावे /आपत्तिया मान्य नहीं की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), ढीमरखेड़ा, जिला कटनी  
मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन)  
अधिनियम 2012 की धारा 3 के अंतर्गत  
नर्मदा घाटी विकास विभाग

**ढीमरखेड़ा 25 अक्टूबर 2019**

क्र. 11.1.1./भू.अ.-म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाइन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई पाइप लाइन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा-3(4) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ढीमरखेड़ा जिला कटनी को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

## 2. अनुसूची

कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

भूमि का विवरण				प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा (हे. में)		
कटनी	ढीमरखेड़ा	दुरघटी पिपरिया प.ह.नं. 05 प्र.क्र.1/अ-82 /19-20	0.369 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	खिरसारु प.ह.नं. 04 प्र.क्र.2/अ-82 /19-20	0.261 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	पोड़ी प.ह.नं. 03 प्र.क्र.3/अ-82 /19-20	0.444 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	चपुहला प.ह.नं. 06 प्र.क्र.4/अ-82 /19-20	0.334 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	बनहरी प.ह.नं.3/05 प्र.क्र.5/अ-82 /19-20	0.185 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	मढाना प.ह.नं. 10 प्र.क्र.6/अ-82 /19-20	0.674 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	डहुली प.ह.नं. 10 प्र.क्र.7/अ-82 /19-20	0.544 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	भनपुराकलां प.ह.नं. 11 प्र.क्र.8/अ-82 /19-20	0.194 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन

कटनी	ढीमरखेड़ा	धरवारा प.ह.नं. 08 प्र.क्र.9/अ-82 /19-20	1.243 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	कोठी प.ह.नं. 65 प्र.क्र.10/अ-82 /19-20	0.111 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	बम्होरी प.ह.नं. 54 प्र.क्र.11/अ-82 /19-20	0.479 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	सिवनी प.ह.नं. 33 प्र.क्र.12/अ-82 /19-20	0.135 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	परासी प.ह.नं. 35 प्र.क्र.13/अ-82 /19-20	0.222 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	पोंडीकला प.ह.नं. 42 प्र.क्र.14/अ-82 /19-20	0.496 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	सगौना प.ह.नं. 33 प्र.क्र.15/अ-82 /19-20	0.263 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	अकौना (वीरान) प.ह.नं. 36 प्र.क्र.16/अ-82 /19-20	0.187 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	खिरवा पोड़ी प.ह.नं. 38 प्र.क्र.17/अ-82 /19-20	0.102 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	बरेली प.ह.नं. 35 प्र.क्र.18/अ-82 /19-20	0.035 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	बरही प.ह.नं. 45 प्र.क्र.19/अ-82 /19-20	0.233 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कलेक्टर, कटनी एवं पदेन उपसचिव, म.प्र. शासन के अधिसूचना

क्र. 9965/प्रवा. दिांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

????????, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. ए. 21-अ-82-2019-20

राजगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2019

**पूरक - प्रकरण**

अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम टोलीघाटा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)**

ग्राम - टोलीघाटा	तहसील - सारंगपुर	जिला - राजगढ़
स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर
		कुल रकबा
		अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	23.264
		9.204

**अनुसूची (2)**

1. कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

स. क्र.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोहन पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178/1	0.475	0.113	0.362	0.475	
	योग:-		0.475	0.113	0.362	0.475	
2	राधेश्याम पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178/2	0.475	0.113	0.362	0.475	
	योग:-		0.475	0.113	0.362	0.475	
3	देवसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178/3	0.474	0.113	0.361	0.475	
	योग:-		0.474	0.113	0.361	0.474	
4	गोविंद पिता शंकर जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178/4	0.474	0.112	0.362	0.474	
	योग:-		0.474	0.112	0.362	0.474	
5	गोकूल पिता माधु जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/5	0.392	0.291	0.101	0.392	
		30/2	0.163	0.133	0.030	0.163	
	योग:-		0.555	0.424	0.131	0.555	
6	सजनसिंह पिता देवीसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/1/1	0.506	0.370	0.136	0.506	
	योग:-		0.506	0.370	0.136	0.506	
7	कालुसिंह पिता बल्देव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	66/2	0.185	0.095	0.090	0.185	
	योग:-		0.185	0.095	0.090	0.185	
8	जयनारायण, बदीलाल पिता कालुसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	175/2	2.379	2.219	0.160	2.379	
	योग:-		2.379	2.219	0.160	2.379	

स.कं.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
9	कालूसिंह पिता हीरा, राधेश्याम पिता हीरा, जीवन पिता हीरा, राजू बाई पिता हीरा जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	74/3/1	2.404	1.004	1.400	2.404	
	योग:-		2.404	1.004	1.400	2.404	
10	बनेसिंह, कैलाश पिता हिन्दुसिंह, गीताई बेवा हिन्दूसिंह जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	62/3	1.674	0	0.500	0.500	
	योग:-		2.002	0	0.828	0.828	
11	शांताबाई बेवा रमेश रूकमा बाई पुत्री रमेश जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/3	1.000	0	1.000	1.000	
		2/2/1	0.505	0	0.505	0.505	
		142/1	0.057	0	0.057	0.057	
		261/1	0.095	0	0.095	0.095	
		162/1	0.006	0	0.006	0.006	
		163/1	0.304	0	0.304	0.304	
		143/1	0.057	0	0.057	0.057	
	योग:-		2.024	0	2.024	2.024	
12	करणसिंह पिता पूरा, शैतानबाई, छायाताबाई पिता पूरा जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूस्वामी	174/1/6	1.000	0.700	0.300	1.000	
	योग:-		1.000	0.700	0.300	1.000	
13	देवसिंह पिता भागीरथ जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/5	1.000	0.700	0.300	1.000	
	योग:-		1.000	0.700	0.300	1.000	
14	सिद्धनाथ पिता किशन जाति बेलदार जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/2	1.000	0.700	0.300	1.000	
	योग:-		1.000	0.700	0.300	1.000	
15	शंकरलाल पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/1	1.000	0.700	0.300	1.000	
	योग:-		1.000	0.700	0.300	1.000	
16	लक्ष्मीनारायण पिता मथुरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/1	0.778	0.608	0.170	0.778	
	योग:-		0.778	0.608	0.170	0.778	
17	रामप्रसाद पिता मथुरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/2	0.795	0.613	0.182	0.795	
		24/2/2	0.065	0.045	0.020	0.065	
	योग:-		0.860	0.658	0.202	0.860	
18	कमलाप्रसाद पिता मथुरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/3	0.939	0.695	0.244	0.939	
	योग:-		0.939	0.695	0.244	0.939	

स.कं.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
19	गुलाबसिंह पिता रामनारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/4	1.047	0.855	0.192	1.047	
	योग:-		1.047	0.855	0.192	1.047	
20	बद्रीलाल पिता मथूरालाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/3	0.024	0.020	0.004	0.024	
	योग:-		0.024	0.020	0.004	0.024	
21	देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/3/2	0.455	0.37	0.085	0.455	
	योग:-		0.455	0.37	0.085	0.455	
22	हरिसिंह पिता धुला एंव बापुसिंह पिता देवीसिंह जाति दांगी पता निवासी ग्राम सेदरा भूमि स्वामी	15/1/2	1.012	0.84	0.172	1.012	
	योग:-		1.012	0.84	0.172	1.012	
23	रामनारायण पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/1	0.089	0.055	0.034	0.089	
	योग:-		0.089	0.055	0.034	0.089	
24	हरिप्रसाद पिता नारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/2/1	0.065	0.045	0.020	0.065	
		30/1	0.287	0.207	0.080	0.287	
	योग:-		0.352	0.252	0.100	0.352	
25	बनेसिंह, चन्द्रसिंह, रामलाल, बाबूलाल, गंगाराम, विष्णुप्रसाद, सुगंधबाई, सरजूबाई पिता लालसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/3/1	0.455	0.370	0.085	0.455	
	योग:-		0.455	0.370	0.085	0.455	
26	प्रभूलाल आ. भंवरलाल जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/3	1.300	0.800	0.500	1.300	
	योग:-		1.300	0.800	0.500	1.300	
	कुल योग:-		23.264	12.886	9.204	22.089	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जा. क्र. 5337-38

19

**कुण्डालिया बाँध परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित  
ग्राम कालापील की भूमि का पूरक पत्रक**

ग्राम - कालापील		तहसील - सारंगपुर		जिला - राजगढ़
स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर		
1	निजी भूमि 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	कुल रकबा	अर्जित रकबा	
		60.501	49.877	

अनुसूची (2)

1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

स. क्र.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	शिर्षक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रेमसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	41/1	0.030	0.000	0.030	0.030	
	योग:-		0.030	0.000	0.030	0.030	
2	जगन्नाथसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55	0.113	0.000	0.113	0.113	
	योग:-		0.113	0.000	0.113	0.113	
3	चन्द्रसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/16	1.000	0.000	0.253	0.253	
		43/1/2					
		43/1/3	0.239	0.000	0.239	0.239	
		43/1/4					
	योग:-		1.239	0.000	0.492	0.492	
4	मंगलसिंह बाबूसिंह सज्जनसिंह बलवानसिंह पिता भोनीसिंह गुडडीकुंवर संतकुंवर पुत्री भोनीसिंह लालकुंवर बैवा भोनीसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53	0.012	0.000	0.012	0.012	
	योग:-		0.012	0.000	0.012	0.012	
5	बाबूलाल पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56/2	0.051	0.000	0.051	0.051	
	योग:-		0.051	0.000	0.051	0.051	
6	भगवानसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57/1/1	0.084	0.000	0.084	0.084	
	योग:-		0.084	0.000	0.084	0.084	
7	मनोहरसिंह दुलेसिंह पिता केसरसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	64/4	0.095	0.000	0.095	0.095	
	योग:-		0.095	0.000	0.095	0.095	



स.क.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	शिर्षक
1	2	3	4	5	6	7	8
8	मानसिंह पिता जालम भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	78/1	0.089	0.000	0.089	0.089	
	योग:-		0.089	0.000	0.089	0.089	
9	मानसिंह केशरसिंह हरिनारायण रमेश पिता भागीरथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	84/1	0.227	0.000	0.227	0.227	
	योग:-		0.227	0.000	0.227	0.227	
10	भैया पिता बूला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	179/1	0.340	0.000	0.040	0.040	
	योग:-		0.340	0.000	0.040	0.040	
11	कमलसिंह आत्माराम पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	355/2	0.461	0.000	0.461	0.461	
	योग:-		0.461	0.000	0.461	0.461	
12	मानसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	366/3/2	0.127	0.000	0.127	0.127	
	योग:-		0.127	0.000	0.127	0.127	
13	करणसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	371/2/2	0.241	0.000	0.241	0.241	
	योग:-		0.241	0.000	0.241	0.241	
14	गुडडीबाई पति करणसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/2	0.645	0.000	0.645	0.645	
	योग:-		0.645	0.000	0.645	0.645	
15	ममताबाई, भगवतीबाई पिता उमरावसिंह दिनेश पिता उमरावसिंह भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	428/1	0.721	0.000	0.721	0.721	
		430/1	1.011	0.000	1.011	1.011	
		407/1	0.125	0.000	0.125	0.125	
	योग:-		1.857	0	1.857	1.857	
16	भंवरीबाई पिता न्यादा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/21	1.000	0.000	1.000	1.000	
	योग:-		1.000	0.000	1.000	1.000	
17	कालू बनेसिंह प्रेमसिंह राजूबाई पिता भंवरलाल मु० अनोखीबाई बैवा भंवरलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/6	0.576	0.000	0.576	0.576	
	योग:-		0.576	0.000	0.576	0.576	
18	शंकरसिंह पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/9/4/1	0.639	0.000	0.639	0.639	
		3/14/1	0.411	0.000	0.411	0.411	
		3/19/1	0.411	0.000	0.411	0.411	
		3/21/1	0.373	0.000	0.373	0.373	
		11/1	0.373	0.000	0.373	0.373	
		58/2/1	0.070	0.000	0.070	0.070	
	योग:-		0.018	0.000	0.018	0.018	
	योग:-		0.032	0.000	0.032	0.032	

स.क.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8
		86/4/1	0.060	0.000	0.060	0.060	
		106/4/1	0.010	0.000	0.010	0.010	
	योग:-		1.613	0.000	1.613	1.613	
19	होकमसिंह पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/9/4/2	0.640	0.000	0.640	0.640	
		3/14/2 3/19/2	0.411	0.000	0.411	0.411	
		3/21/2 11/2	0.372	0.000	0.372	0.372	
		58/2/2	0.07	0.000	0.070	0.070	
		59/2	0.018	0.000	0.018	0.018	
		69/4/2	0.032	0.000	0.032	0.032	
		86/4/2	0.060	0.000	0.060	0.060	
		106/4/2	0.010	0.000	0.010	0.010	
	योग:-		1.613	0.000	1.613	1.613	
20	अमरसिंह पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/1/1/1	0.928	0.000	0.928	0.928	
		3/6/7/3/1	0.333	0.000	0.333	0.333	
	योग:-		1.261	0.000	1.261	1.261	
21	बाबूलाल पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/1/1/2	0.928	0.000	0.928	0.928	
		3/6/7/3/2	0.333	0.000	0.333	0.333	
	योग:-		1.261	0.000	1.261	1.261	
22	शंकरसिंह पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/1/1/3	0.928	0.000	0.928	0.928	
		3/6/7/3/3	0.334	0.000	0.334	0.334	
	योग:-		1.262	0.000	1.262	1.262	
23	रतनसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/8	1.838	0.000	0.500	0.500	
	योग:-		1.838	0.000	0.500	0.500	
24	दिनेश पिता रामचन्द्र जाति मेहत्तर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	291/43/8	1.000	0.000	1.000	1.000	
	योग:-		1.000	0.000	1.000	1.000	
25	कमलसिंह पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	310/1 281/4	0.550	0.000	0.550	0.550	
		349/2 349/4 381/3	1.053	0.000	1.053	1.053	
	योग:-		1.603	0.000	1.603	1.603	
26	कंवरलाल पिता प्रताप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	409	2.719	0.000	2.719	2.719	
	योग:-		2.719	0.000	2.719	2.719	
27	कलाबाई पति श्रीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	434	0.405	0.350	0.055	0.055	
		435	0.336	0.250	0.086	0.086	
	योग:-		0.741	0.600	0.141	0.141	
28	बाबूलाल पिता घीसा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	489/4/2	0.906	0.000	0.200	0.200	

स.क्र.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8
	योग:-		0.906	0.000	0.200	0.200	
29	रुगनाथ पिता कन्हैयालाल उर्फ कनीराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/31	1.360	0.000	0.200	0.200	
	योग:-		1.360	0.000	0.200	0.200	
30	कालू पिता कन्हैयालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/35	1.000	0.000	1.000	1.000	
	योग:-		1.000	0.000	1.000	1.000	
31	बालुसिंह पिता जोरावरसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	291/36/2/3	0.511	0.000	0.300	0.300	
		374/2/2/3	0.055	0.000	0.055	0.055	
		420/3/2/2	0.068	0.000	0.068	0.068	
		377/2/1	0.077	0.000	0.077	0.077	
		298/8/2/3	0.008	0.000	0.008	0.008	
		354/2/3 369/5/1/3 381/6/1/3 369/2/2/3	0.250	0.000	0.250	0.250	
	योग:-		0.969	0.000	0.758	0.758	
32	भगवानसिंह पिता जोरावरसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	374/2/2/5	0.054	0.000	0.054	0.054	
		421/1/2/2	0.037	0.000	0.037	0.037	
		291/36/2/5	0.509	0.000	0.300	0.300	
		354/2/5 369/5/1/5 381/6/1/5 369/3/2/5	0.249	0.000	0.249	0.249	
			योग:-		0.849	0.000	0.640
33	प्रेमसिंह पिता जोरावरसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	374/2/2/4	0.054	0.000	0.054	0.054	
		420/3/2/3	0.016	0.000	0.016	0.016	
		291/36/2/4	0.509	0.000	0.300	0.300	
		354/2/4 369/5/1/4 381/6/1/4 369/3/2/4	0.249	0.000	0.249	0.249	
			योग:-		0.828	0.000	0.619
34	सिद्धसिंह रामलाल पिता रतनसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	122/1/1	0.018	0.000	0.018	0.018	
		122/2/1	0.044	0.000	0.044	0.044	
		123/1/1	0.012	0.000	0.012	0.012	
		377/1	0.077	0.000	0.077	0.077	
		384/1	0.487	0.000	0.487	0.487	
		420/3/1	0.130	0.000	0.130	0.130	
		421/1/1	0.090	0.000	0.090	0.090	
		428/2/1	0.031	0.000	0.031	0.031	
		428/3/1	0.018	0.000	0.018	0.018	
		428/4/1	0.062	0.000	0.062	0.062	
	योग:-		2.547	0.000	1.500	1.500	

स.क.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पुरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	रिपार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
		375/1	0.342	0.000	0.342	0.342	
	योग:-		3.858	0.000	2.811	2.811	
35	रामलाल पिता किशन जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/24	1.000	0.000	0.253	0.253	
	योग:-		1.000	0.000	0.253	0.253	
36	मधू पिता भवरलाल, हजरीलाल पिता भंवरलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/15	1.000	0.000	0.500	0.500	
	योग:-		1.000	0.000	0.500	0.500	
37	बद्रीलाल पिता नाथू जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/4	1.000	0.000	1.000	1.000	
	योग:-		1.000	0.000	1.000	1.000	
38	श्रीलाल पिता खेमराज जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/1/1/1 427/2/1 427/3/1 427/4/1	3.162	0.000	3.162	3.162	
	योग:-		3.162	0.000	3.162	3.162	
39	बालुसिंह पिता परथीसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	50/3	0.008	0.000	0.008	0.008	
		121/2/3	0.012	0.000	0.012	0.012	
		128/3	0.025	0.000	0.025	0.025	
		294/2	0.021	0.000	0.021	0.021	
		295/2	0.008	0.000	0.008	0.008	
		296/2	0.055	0.000	0.055	0.055	
		297/2	0.063	0.000	0.063	0.063	
		298/2	0.056	0.000	0.056	0.056	
		299/2	0.030	0.000	0.030	0.030	
		300/2	0.190	0.000	0.190	0.190	
		301/2	0.067	0.000	0.067	0.067	
		325/3	0.042	0.000	0.042	0.042	
		392/2	0.034	0.000	0.034	0.034	
		393/2	0.046	0.000	0.046	0.046	
		396/3	0.012	0.000	0.012	0.012	
		397/1/2	0.486	0.000	0.486	0.486	
		398/2	0.607	0.000	0.607	0.607	
401/2	0.033	0.000	0.033	0.033			
	योग:-		1.795	0.000	1.795	1.795	
40	इन्दरसिंह पिता बालूसिंह बनेसिंह पिता दरियाव गुडडीबाई पिता दरियाव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	489/15/2	2.500	0.000	0.800	0.800	
		440	0.886	0.000	0.800	0.800	
	योग:-		3.386	0.000	1.600	1.600	
41	बापूलाल पिता परथी जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/22	1.000	0.000	1.000	1.000	
	योग:-		1.000	0.000	1.000	1.000	

स.क.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
42	प्रेमसिंह पिता नारायणसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/34	2.000	0.000	2.000	2.000	
	योग:-		2.000	0.000	2.000	2.000	
43	भेरू पिता देवा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/27	1.000	0.000	1.000	1.000	
	योग:-		1.000	0.000	1.000	1.000	
44	रामचन्द्र पिता गोपीलाल जाति भंगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/18	1.000	0.000	1.000	1.000	
	योग:-		1.000	0.000	1.000	1.000	
45	गिरधारी पिता किशन जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/20	1.000	0.000	0.900	0.900	
	योग:-		1.000	0.000	0.900	0.900	
46	रमेश पिता मांगीलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/10	1.000	0.000	0.632	0.632	
	योग:-		1.000	0.000	0.632	0.632	
47	जगदीश पिता मांगीलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/7/2/2/1	0.265	0.000	0.265	0.265	
	योग:-		0.265	0.000	0.265	0.265	
48	शिवसिंह पिता जोरावरसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	374/2/3/1	0.055	0.000	0.055	0.055	
		291/36/2/1	0.510	0.000	0.300	0.300	
		298/8/2/1	0.007	0.000	0.007	0.007	
		354/2/1 369/5/1/1 381/6/1/1 369/3/2/1	0.249	0.000	0.249	0.249	
		420/3/2/4	0.046	0.000	0.046	0.046	
		योग:-		0.867	0.000	0.657	0.657
49	नारायणसिंह पिता जोरावरसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	374/2/2/2	0.055	0.000	0.055	0.055	
		291/36/2/2	0.509	0.000	0.300	0.300	
		298/8/2/2	0.007	0.000	0.007	0.007	
		420/3/2/1	0.046	0.000	0.046	0.046	
		354/2/2 369/5/1/2 381/6/1/2 369/3/2/2	0.249	0.000	0.249	0.249	
योग:-		0.866	0.000	0.657	0.657		

स.क्र.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
50	बंशीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	394/2/2	0.259	0.000	0.259	0.259	
	योग:-		0.259	0.000	0.259	0.259	
51	रामसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	366/3/1	0.126	0.000	0.126	0.126	
		80/2/4/2	0.007	0.000	0.007	0.007	
	योग:-		0.133	0.000	0.133	0.133	
52	भगवानसिंह, जगदीश, नारायणसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/1	0.185	0.000	0.185	0.185	
		396/1	0.012	0.000	0.012	0.012	
		397/1	0.972	0.000	0.972	0.972	
		404/1	0.034	0.000	0.034	0.034	
		294/1	0.022	0.000	0.022	0.022	
		295/1	0.008	0.000	0.008	0.008	
		296/1	0.055	0.000	0.055	0.055	
		297/1	0.064	0.000	0.064	0.064	
		298/1	0.055	0.000	0.055	0.055	
		298/2/2/5	0.007	0.000	0.007	0.007	
		299/1	0.030	0.000	0.030	0.030	
		386/1	0.185	0.000	0.185	0.185	
		405/1	0.051	0.000	0.051	0.051	
	योग:-		1.680	0.000	1.680	1.680	
53	मेवाबाई पिता बाबूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	49/1/1	0.101	0.000	0.101	0.101	
		80/1/1/1	0.020	0.000	0.020	0.020	
	योग:-		0.121	0.000	0.121	0.121	
54	बनेसिंह पिता दरयावसिंह गुडडीबाई पिता दरयावसिंह बहादुरसिंह पिता भगवानसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	322	0.125	0.000	0.125	0.125	
	योग:-		0.125	0.000	0.125	0.125	
55	प्रेमबाई पति कमलकिशोर जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	421/2 422/2	0.506	0.000	0.506	0.506	
	योग:-		0.506	0.000	0.506	0.506	
56	मोडसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	394/2/1	0.259	0.000	0.259	0.259	
	योग:-		0.259	0.000	0.259	0.259	

स.क.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
57	बाबूलाल पिता रामलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/17/2	0.366	0.000	0.366	0.366	
	योग:-		0.366	0.000	0.366	0.366	
58	शांतिलाल पिता भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	407/2	0.065	0.000	0.065	0.065	
	योग:-		0.065	0.000	0.065	0.065	
59	नाथू पिता हजारी जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	397/2	0.375	0.000	0.375	0.375	
	योग:-		0.375	0.000	0.375	0.375	
60	रोडीबाई पति नारायणसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	412/2	0.621	0.000	0.621	0.621	
		412/3	0.620	0.000	0.620	0.620	
	योग:-		1.241	0.000	1.241	1.241	
61	मागीलाल पिता दर्यावसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/33	1.101	0.000	0.250	0.250	
	योग:-		1.101	0.000	0.250	0.250	
62	सीताबाई पति भेरू जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	291/1/2/2	0.505	0.000	0.190	0.190	
	योग:-		0.505	0.000	0.190	0.190	
63	मनोहरसिंह पिता रामसिंह जाति रेवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	293/6	1.137	0.000	0.737	0.737	
		293/9	0.571	0.000	0.571	0.571	
	योग:-		1.708	0.000	1.308	1.308	
64	मनोहरबाई पिता मानसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	403/3/2	0.023	0.000	0.023	0.023	
	योग:-		0.023	0.000	0.023	0.023	
65	राजलबाई बेवा बाबूलाल जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	403/3/1	0.532	0.000	0.532	0.532	
	योग:-		0.532	0.000	0.532	0.532	
66	चन्द्रकलाबाई, मनोहरबाई, अनसूईयाबाई पिता मानसिंह प्रेमबाई बेवा मानसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	294/3	0.022	0.000	0.022	0.022	
		295/3	0.008	0.000	0.008	0.008	
		296/3	0.056	0.000	0.056	0.056	
		297/3	0.063	0.000	0.063	0.063	
		298/3	0.055	0.000	0.055	0.055	
		299/3	0.029	0.000	0.029	0.029	
	योग:-		0.233	0.000	0.233	0.233	

स.कं.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
67	मनोहरसिंह, दूलेसिंह पिता केसरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	64/4	0.095	0.000	0.095	0.095	
	योग:-		0.095	0.000	0.095	0.095	
68	कंवरलाल पिता मन्नालाल जाति बलाई राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	381/3	0.152	0.000	0.152	0.152	
	योग:-		0.152	0.000	0.152	0.152	
69	उमरावसिंह पिता मोहनसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	361/1	0.202	0.000	0.202	0.202	
	योग:-		0.202	0.000	0.202	0.202	
	योग:-		60.501	0.600	49.877	50.477	

1. पटवारी द्वारा मिसल से मिलान किया गया है।
2. उक्त सर्वे नम्बरों का सीमांकन किया गया है।
3. पूर्व में छूटे हुए सर्वे नम्बरों एवं खातों को शामिल किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
इन्दौर, दिनांक 2 नवम्बर 2019

क्र.-4281-भू-अर्जन-19 प्र. क्र. 0002-अ-82-2018-19

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

—00—

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम-गारीपिल्या तहसील-सांवेर जिला-इन्दौर में कुल 0.600 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.600 हैक्टेयर है, जो ग्राम गारीपिल्या, तहसील सांवेर जिला इन्दौर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. स.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (है.में.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ	द	पू	प
01	253/1 254/1 254/289/3 279/1	निजी भूमि	सिंचित	0.008 0.024 0.040 0.226	एवेन्सीज एक्सपोर्ट प्रा.लि. नि. दिल्ली				
02	258/3	निजी भूमि	सिंचित	0.081	पीरुलाल पिता पन्नालाल वगैरह				
03	267/287/1/घ 267/287/3	निजी भूमि	सिंचित	0.036	जीवनलाल पिता कैलाश				
04	267/287/1/ख 267/287/3	निजी भूमि	सिंचित	0.101	सुभाष पिता कैलाशचन्द्र				
05	256/1	निजी भूमि	सिंचित	0.028	सुरेश पिता प्रेमनारायण				
06	284/3	निजी भूमि	सिंचित	0.024	जगदीश पिता अजबसिंह				
07	220/1	निजी भूमि	सिंचित	0.016	देवीसिंह पिता उमराव बलाई शासकीय पट्टेदार				
08	257/1	निजी भूमि	सिंचित	0.016	मनोहर पिता शंकरलाल				

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
—	—

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में या यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या - है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

ग्राम गारीपिल्या, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर क्षेत्र 0.600 (हैक्टेयर में)।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाए या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी इंदौर एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी सांवेर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र.-4283-भू-अर्जन-19 प्र. क्र. 0003-अ-82-2018-19

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

—00—

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम-मांगल्या सड़क तहसील-सांवेर जिला-इन्दौर में कुल 0.712 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.712 हैक्टेयर है, जो ग्राम मांगल्या सड़क, तहसील सांवेर जिला इन्दौर में है, जिसका विस्तृत ब्योरा निम्नलिखित है:-

क्र. स.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ	द	पू	प
01	88/2/1 88/2/3 86/1 86/2 87/1	निजी भूमि	सिंचित	0.012 0.113 0.012 0.032 0.100	हाईटेक एग्रीकल्चर रिसोर्स एण्ड सर्विसेस प्रा.लि. तर्फ संतोष पिता मुरारीलाल				
02	55/3	निजी भूमि	सिंचित	0.146	मोहनदेवी पति माणकचंद जैन इन्दौर				
03	58/8 58/5	निजी भूमि	सिंचित	0.046 0.138	अभयकुमार पिता माणकचंद जैन				
04	58/4	निजी भूमि	सिंचित	0.105	अनिल कुमार पिता माणकचंद जैन				
05	24/1/1	निजी भूमि	सिंचित	0.008	संगीताबाई बेवा अर्जुनसिंह, अजय, आरती, माया, लक्ष्मी पिता अर्जुनसिंह				

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
-	-

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में या यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या - है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

ग्राम मांगल्या सड़क, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर क्षेत्र 0.712 (हैक्टेयर में)।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाए या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी इंदौर एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी सांवेर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र.-4285-भू-अर्जन-19 प्र. क्र. 0001-अ-82-2018-19

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

—00—

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम-राहुखेड़ी तहसील-सांवेर जिला-इन्दौर में कुल 0.213 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.213 हैक्टेयर है, जो ग्राम राहुखेड़ी, तहसील सांवेर जिला इन्दौर में है, जिसका विस्तृत ब्योरा निम्नलिखित है:-

क्र. स.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ.	द.	पू.	प.
01	51/6	निजी भूमि	सिंचित	0.055	मांगीलाल पिता पीरा बलाई सा. डकाच्या				
02	51/3	निजी भूमि	सिंचित	0.020	बनेसिंह पिता हीरालाल वगैरह जाति भील निवासी राहुखेड़ी				
03	33/1 34/4	निजी भूमि	सिंचित	0.110 0.028	लक्ष्मीनारायण पिता सांवत जाति खाती निवासी डकाच्या				

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
-	-

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में या यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या - है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

**ग्राम राहुखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर क्षेत्र 0.213 (हैक्टेयर में)।**

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाए या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी इंदौर एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी सांवेर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
पत्र क्र. 610-भू-अर्जन-2019 सीधी, दिनांक 7 नवम्बर 2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानों (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानों (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन/आकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खानों (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा - 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	:-	उपनी
तहसील	:-	गोपद बनास
जिला	:-	सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 1.690 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.मे)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	1408	0.110 ✓	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला - सीधी (म.प्र.)	महान मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु।
2	1409	0.030 ✓		
3	1410	0.100 ✓		
4	1411	0.040 ✓		
5	1375	0.020 ✓		
6	1373	0.025 ✓		
7	1191/2	0.070 ✓		
8	1191/2/2	0.018 ✓		
9	1191/1/2	0.010 ✓		
10	1191/1/3	0.012 ✓		
11	1207	0.010 ✓		
12	1454/1	0.070 ✓		
13	1284	0.080 ✓		
14	1148	0.010 ✓		
15	1372	0.080 ✓		
16	1337	0.060 ✓		
17	1146/1	0.050 ✓		
18	1147	0.020 ✓		
19	1183	0.010 ✓		
20	1167	0.470 ✓		
21	1461	0.001 ✓		
22	1462	0.004 ✓		
23	1146/2	0.070 ✓		
24	1163/1	0.060 ✓		
25	1283	0.045 ✓		
26	1154/1/1	0.005 ✓		
27	1206	0.010 ✓		
28	1208	0.020 ✓		
29	1172	0.110 ✓		
30	1210	0.030 ✓		
31	1182/10	0.040 ✓		
Total	31 कित्ता	1.690 Ha.		

- भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है।
- उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

## पत्र क्र. 612-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा - 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

## " अनुसूची "

## 1- भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	:-	बदौरा
तहसील	:-	गोपद बनास
जिला	:-	सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकवा 0.711 हे./

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.मे)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	235/1/1	0.068	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला - सीधी (म.प्र.)	महान मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु।
2	228	0.035		
3	234/1/1	0.116		
4	229/2/1	0.004		
5	230	0.010		
6	222	0.012		
7	233	0.012		
8	232	0.012		
9	231	0.015		
10	226	0.015		
11	227/1	0.010		
12	227/2	0.010		
13	227/3	0.010		
14	229/1	0.004		
15	1357	0.020		
16	1356	0.010		
17	1354	0.010		
18	1348/1	0.010		
19	1352/1	0.048		
20	1370	0.004		
21	1355	0.050		
22	1371	0.096		
23	1383	0.032		
24	1382	0.054		
25	1395/1/1	0.040		
26	1411/1	0.004		
<b>Total</b>	<b>26 किता</b>	<b>0.711 ha.</b>		

- भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है।
- उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

## पत्र क्र. 614-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानों (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानों (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खानों (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा - 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

## “ अनुसूची ”

## 1- भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	:-	बिछिया
तहसील	:-	गोपद बनास
जिला	:-	सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	निजी रकवा 2.085 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.मे)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	471	0.088	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला - सीधी (म.प्र.)	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की मानडर नम्बर 7 के निर्माण हेतु।
2	470	0.095		
3	482	0.001		
4	484	0.015		
5	485	0.005		
6	487	0.030		
7	486	0.003		
8	488	0.072		
9	489	0.040		
10	490	0.005		
11	491	0.195		
12	492	0.010		
13	511	0.003		
14	495	0.055		
15	493	0.017		
16	387	0.001		
17	317	0.190		
18	315	0.017		
19	314	0.075		
20	313	0.105		
21	327	0.012		
22	310	0.050		
23	311	0.030		
24	307	0.130		
25	309	0.003		
26	336	0.005		
27	118	0.080		
28	119	0.010		
29	121	0.075		
30	123	0.105		
31	124	0.045		
32	125	0.050		
33	126	0.040		
34	128	0.003		
35	188	0.005		
36	131	0.035		
37	173	0.030		
38	171	0.015		
39	172	0.105		
40	154	0.200		
41	162	0.030		
42	169	0.005		
Total	42 कित्ता	2.085 Ha.		

- भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है।
- उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है।
- यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 616-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानों (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानों (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा - 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

### “ अनुसूची ”

#### 1- भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	:-	खोरी
तहसील	:-	बहरी
जिला	:-	सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	निजी रकवा 4.648 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	482/1	0.250 ✓	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला - सीधी (म.प्र.)	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 के निर्माण हेतु।
2	483	0.012 ✓		
3	484/2	0.012 ✓		
4	492/1	0.200 ✓		
5	492/2/2/1	0.085 ✓		
6	492/2/2/2	0.050 ✓		
7	492/2/3	0.005 ✓		
8	498	0.015 ✓		
9	499	0.070 ✓		
10	509/1	0.085 ✓		
11	509/2	0.100 ✓		
12	509/3	0.100 ✓		
13	511/2	0.170 ✓		
14	512	0.110 ✓		
15	517	0.424 ✓		
16	533	0.220 ✓		
17	540	0.070 ✓		
18	574/1	0.100 ✓		
19	544	0.026 ✓		
20	545	0.110 ✓		
21	548	0.008 ✓		
22	549	0.040 ✓		
23	387	0.025 ✓		
24	317/600	0.010 ✓		
25	315	0.045 ✓		
26	316	0.005 ✓		
27	314	0.015 ✓		

28	319	0.040 ✓		
29	322	0.075 ✓		
30	323	0.020 ✓		
31	294	0.014 ✓		
32	291	0.028 ✓		
33	292	0.015 ✓		
34	293/1	0.037 ✓		
35	284	0.040 ✓		
36	285	0.020 ✓		
37	288	0.012 ✓		
38	217	0.130 ✓		
39	214/2	0.045 ✓		
40	215	0.050 ✓		
41	216	0.005 ✓		
42	210	0.045 ✓		
43	206	0.015 ✓		
44	138	0.010 ✓		
45	204	0.060 ✓		
46	205	0.100 ✓		
47	141/3/2	0.015 ✓		
48	141/3/3	0.120 ✓		
49	193/2	0.032 ✓		
50	193/1	0.180 ✓		
51	141/2	0.070 ✓		
52	145/2	0.045 ✓		
53	144	0.002 ✓		
54	143/2/2/1	0.035 ✓		
55	142/2/min-1	0.160 ✓		
56	142/2/min-2			
57	142/1	0.140 ✓		
58	99/1	0.036 ✓		
59	97	0.100 ✓		
60	89/1	0.410 ✓		
61	89/2	0.180 ✓		
Total	61 कित्ता ✓	4.648 Ha. ✓		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है।
3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
4. धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
5. यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।



क्रमांक 618/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### " अनुसूची "

#### 1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी  
 (ख) तहसील - बहरी  
 (ग) नगर/ग्राम - सैरपुर  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 4.911 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	1324 ✓	0.077	प्रेमा सिंह पत्नी राजेन्द्र बहादुर सिंह राजेश विनोद विष्णु बहादुर भूपेन्द्र सिंह संत बहादुर सिंह रेखा सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह
2.	1322 ✓	0.001	प्रेमा सिंह पत्नी राजेन्द्र बहादुर सिंह राजेश विनोद विष्णु बहादुर भूपेन्द्र सिंह संत बहादुर सिंह रेखा सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह
3.	1323 ✓	0.053	विजय बहादुर सिंह पिता भगवान सिंह चौहान
4.	1313 ✓	0.080	विजय बहादुर सिंह पिता भगवान सिंह चौहान
5.	1315 ✓	0.058	विजय बहादुर सिंह पिता भगवान सिंह चौहान
6.	1296 ✓	0.093	विजय बहादुर सिंह पिता भगवान सिंह चौहान
7.	1310 ✓	0.062	विजय बहादुर सिंह पिता भगवान सिंह चौहान 1/2 प्रेमा सिंह पत्नी राजेन्द्र बहादुर सिंह राजेश विनोद विष्णु बहादुर भूपेन्द्र सिंह संत बहादुर सिंह रेखा सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह
8.	1274/1 ✓	0.078	राजेश रजक पिता बैजनाथ
9.	1261/1 ✓	0.008	राजेश रजक पिता बैजनाथ
10.	1262/1 ✓	0.025	राजेश रजक पिता बैजनाथ
11.	1264 ✓	0.009	राजेश रजक पिता बैजनाथ
12.	1274/2/1	0.128	राजेश कुमार पिता शिव कुमार द्विवेदी
13.	1274/2/2	0.034	बैजनाथ पिता केमला प्रसाद रजक
14.	1263/1 ✓	0.020	बैजनाथ पिता केमला प्रसाद रजक
15.	1263/2 ✓	0.008	बृन्दा पिता लगनधारी धोबी
16.	1242 ✓	0.070	बृन्दा पिता लगनधारी धोबी
17.	1245 ✓	0.093	बृन्दा पिता लगनधारी
18.	1227 ✓	0.084	गुलाब दास पिता हिन्टपति साहू
19.	1223 ✓	0.025	सुवंश पिता लक्षिमन धोबी
20.	1225 ✓	0.029	संदीप सागर सोनम पिता जगदीश धोबी कौशिल्या वेवा जगदीश धोबी नि.ग्रा. राजू पिता भगवानदीन नैवसुआ पत्नी भगवानदीन धोबी
21.	1114 ✓	0.028	संदीप सागर सोनम पिता जगदीश धोबी कौशिल्या वेवा जगदीश धोबी नि.ग्रा. राजू पिता भगवानदीन नैवसुआ पत्नी भगवानदीन धोबी
22.	1207/2 ✓	0.039	छठिया उर्फ छठिलाल पिता लक्षिमन तेली
23.	1207/3 ✓	0.006	प्रमोद उर्फ राम प्रसाद पिता लक्षिमन तेली
24.	1120 ✓	0.020	मु.कौशिल्या वेवा जगदीश धोबी संदीप सागर सोनम पिता जगदीश धोबी
25.	1119 ✓	0.010	मु.कौशिल्या वेवा जगदीश धोबी संदीप सागर सोनम पिता जगदीश धोबी
26.	1121 ✓	0.040	मु.कौशिल्या वेवा जगदीश धोबी संदीप सागर सोनम पिता जगदीश धोबी
27.	1075/1 ✓		रामाधार पिता जगदीश राम ब्रा.
28.	1075/2 ✓	0.070	मु. हंसरजुआ वेवा रामानुग्रह विजय पुष्पेन्द्र दुर्गावती शशी सरोज पिता रामानुग्रह ब्रा.

29.	1071/1 ✓		रामाधार पिता जगदीश राम ब्रा.
30.	1071/2 ✓	0.053	मु. हंसरजुआ वेवा रामानुग्रह विजय पुष्पेन्द्र दुर्गावती शशी सरोज पिता रामानुग्रह ब्रा.
31.	1062 ✓	0.006	गोपीराम पिता शम्भूराम ब्रा.
32.	1063 ✓	0.054	गोपीराम पिता शम्भूराम ब्रा.
33.	1060 ✓	0.047	चन्द्रिकाराम पिता शम्भूराम ब्रा.
34.	571 ✓	0.034	चन्द्रिकाराम पिता शम्भूराम ब्रा.
35.	568/1350 ✓	0.027	चन्द्रिकाराम पिता शम्भूराम
36.	1081 ✓	0.024	ददनराम शास्त्री प्रसाद पिता गोपीराम ब्रा.
37.	1059 ✓	0.030	भीमसेन पिता शम्भू राम
38.	1052 ✓	0.057	शिवकली पत्नी रामशरण
39.	1053 ✓	0.010	शिवकली पत्नी रामशरण
40.	1051/1 ✓	0.038	जगन्नाथ पिता जगदीश राम ब्रा.
41.	1051/2 ✓	0.037	रामशरण पिता जगदीश राम ब्रा.
42.	1054/2 ✓	0.001	रामशरण पिता जगदीश राम ब्रा.
43.	1050 ✓	0.088	रामावतार राम बिराजे श्रीनिवास लाला प्रसाद अर्जुन पिता दर्शनराम ब्रा.
44.	1042 ✓	0.001	रामावतार राम बिराजे श्रीनिवास लाला प्रसाद अर्जुन पिता दर्शनराम ब्रा.
45.	570 ✓	0.007	रामावतार राम बिराजे श्रीनिवास लाला प्रसाद अर्जुन पिता दर्शनराम ब्रा.
46.	999/1 ✓	0.040	रामदयाल पिता चन्द्र शेष प्रसाद ब्रा.
47.	999/2 ✓	0.041	श्यामसुन्दर पिता चन्द्रशेष प्रसाद ब्रा.
48.	993/1 ✓	0.001	रामराज पिता गयाराम ब्रा.
49.	998/1 ✓	0.046	रामराज पिता गयाराम ब्रा.
50.	998/2 ✓	0.045	नागेन्द्र प्रसाद पिता गयाराम ब्रा.
51.	997/1 ✓	0.026	रामायण प्रसाद पिता अनन्दे राम
52.	997/2 ✓	0.027	कमलेश्वर प्रसाद पिता अनन्दे राम
53.	997/3 ✓	0.027	मु. चम्पा पति दीनदयाल नाबा.पुत्री साधना पिता दीनदयाल ना. संरक्षिका माता मु. चम्पा देवी
54.	1111 ✓	0.034	जगन्नाथ गुप्ता रामचन्द्र गुप्ता राधेश्याम गुप्ता रामाधार गुप्ता पिता मेवालाल गुप्ता 1/2 प्रहलाद नारायण दास गुप्ता मु. संखी गुप्ता पत्नी शिवमूरत गुप्ता सोमदत्त पिता जमुना बानी
55.	1257/4 ✓	0.030	अशोक कुमार पिता छंगूराम ब्रा.
56.	1257/2 ✓	0.020	अशोक कुमार पिता छंगूराम ब्रा.
57.	1290/4 ✓	0.020	अशोक कुमार पिता छंगूराम ब्रा.
58.	1257/5 ✓	0.020	मनोज कुमार पिता छंगूराम ब्रा.
59.	1257/3 ✓	0.044	मनोज कुमार पिता छंगूराम ब्रा.
60.	1290/1 ✓	0.004	मुनेश्वर कुमार पिता छंगूराम ब्रा.
61.	1290/2 ✓	0.080	मुनेश्वर कुमार पिता छंगूराम ब्रा.
62.	1259/1 ✓	0.005	मुनेश्वर कुमार पिता छंगूराम ब्रा.
63.	1290/3 ✓	0.060	अजय कुमार पिता सन्तोष कुमार मु. उर्मिला वेवा संतोष कुमार
64.	1290/5 ✓	0.018	अजय कुमार पिता सन्तोष कुमार मु. उर्मिला वेवा संतोष कुमार
65.	1045 ✓	0.041	मु. जैमुनिया वेवा रमेश अरुण पिता रमेश शिवकुमार पिता संतकुमार पाण्डेय
66.	1044 ✓	0.028	मु. जैमुनिया वेवा रमेश अरुण पिता रमेश शिवकुमार पिता संतकुमार पाण्डेय
67.	980 ✓	0.092	मु. फूलमती वेवा रामकरण वाल्मीकि कृष्ण कुमार रामदरस आशा तारा ऊषा पिता रामकरण ब्रा.
68.	979 ✓	0.018	मु. फूलमती वेवा रामकरण वाल्मीकि कृष्ण कुमार रामदास आशा तारा ऊषा पिता रामकरण ब्रा.
69.	978 ✓	0.020	मु. फूलमती वेवा रामकरण वाल्मीकि कृष्ण कुमार रामदास आशा तारा ऊषा पिता रामकरण ब्रा.
70.	977 ✓	0.024	मु. फूलमती वेवा रामकरण वाल्मीकि कृष्ण कुमार रामदास आशा तारा ऊषा पिता रामकरण ब्रा.
71.	976 ✓	0.001	मु. फूलमती वेवा रामकरण वाल्मीकि कृष्ण कुमार रामदास आशा तारा ऊषा पिता रामकरण ब्रा.
72.	461 ✓	0.043	बबना सुखमन्ती पिता अनन्दे

73.	462 ✓	0.071	बबना सुखमन्ती पिता अनन्दे
74.	460 ✓	0.048	बुद्धसेन विश्वनाथ पिता दुदना काछी
75.	451 ✓	0.071	गणेश दास पिता रामपति साहू
76.	448 ✓	0.004	गणेश दास पिता रामपति साहू
77.	449 ✓	0.027	रामपति पिता गजरूप
78.	450 ✓	0.009	रामपति पिता गजरूप
79.	446 ✓	0.047	रामपति पिता गजरूप
80.	445 ✓	0.006	रामपति पिता गजरूप
81.	433 ✓	0.159	मु. चन्द्रकली वेवा बलिराज सिंह
82.	416 ✓	0.193	अर्जुन सिंह पिता हरिहर सिंह चौहान
83.	415 ✓	0.007	लक्ष्मिन सिंह पिता हरिहर सिंह
84.	418 ✓	0.003	लक्ष्मिन सिंह पिता हरिहर सिंह
85.	414 ✓	0.101	शत्रुघ्न सिंह पिता हरिहर सिंह चौहान
86.	407 ✓	0.015	शत्रुघ्न सिंह पिता हरिहर सिंह चौहान
87.	410 ✓	0.058	पुष्पराज सिंह पिता हरिहर सिंह चौहान
88.	975/1 ✓	0.037	शिवशरण ललिया लुरुआ पिता रामराज सिंह
89.	406 ✓	0.045	शिवशरण ललिया लुरुआ पिता रामराज सिंह
90.	388 ✓	0.019	शिवशरण ललिया लुरुआ पिता रामराज सिंह
91.	377 ✓	0.005	शिवशरण ललिया लुरुआ पिता रामराज सिंह
92.	375 ✓	0.165	शिवशरण ललिया लुरुआ पिता रामराज सिंह
93.	372 ✓	0.012	शिवशरण ललिया लुरुआ पिता रामराज सिंह
94.	371 ✓	0.028	शिवशरण ललिया लुरुआ पिता रामराज सिंह
95.	385 ✓	0.019	शिवशरण ललिया लुरुआ पिता रामराज सिंह
96.	390 ✓	0.105	अरविन्द कुमार सिंह पिता भगवत सिंह राजनारायण सिंह राकेश सिंह पिता कौशल सिंह मु. मीना सिंह वेवा कौशल सिंह रविराज सिंह पिता अजीत सिंह यज्ञराज सिंह विजय प्रताप सिंह पिता अजीत सिंह
97.	384 ✓	0.039	अरविन्द कुमार सिंह पिता भगवत सिंह राजनारायण सिंह राकेश सिंह पिता कौशल सिंह मु. मीना सिंह वेवा कौशल सिंह रविराज सिंह पिता अजीत सिंह यज्ञराज सिंह विजय प्रताप सिंह पिता अजीत सिंह
98.	383 ✓	0.008	अरविन्द कुमार सिंह पिता भगवत सिंह राजनारायण सिंह राकेश सिंह पिता कौशल सिंह मु. मीना सिंह वेवा कौशल सिंह रविराज सिंह पिता अजीत सिंह यज्ञराज सिंह विजय प्रताप सिंह पिता अजीत सिंह
99.	374 ✓	0.014	अरविन्द कुमार सिंह पिता भगवत सिंह राजनारायण सिंह राकेश सिंह पिता कौशल सिंह मु. मीना सिंह वेवा कौशल सिंह रविराज सिंह पिता अजीत सिंह यज्ञराज सिंह विजय प्रताप सिंह पिता अजीत सिंह
100.	369 ✓	0.055	अरविन्द कुमार सिंह पिता भगवत सिंह राजनारायण सिंह राकेश सिंह पिता कौशल सिंह मु. मीना सिंह वेवा कौशल सिंह रविराज सिंह पिता अजीत सिंह यज्ञराज सिंह विजय प्रताप सिंह पिता अजीत सिंह
101.	355 ✓	0.078	अरविन्द कुमार सिंह पिता भगवत सिंह राजनारायण सिंह राकेश सिंह पिता कौशल सिंह मु. मीना सिंह वेवा कौशल सिंह रविराज सिंह पिता अजीत सिंह यज्ञराज सिंह विजय प्रताप सिंह पिता अजीत सिंह
102.	370 ✓	0.096	मुकुटधारी सिंह पिता झलर सिंह चौहान
103.	368 ✓	0.076	मुकुटधारी सिंह पिता झलर सिंह चौहान
104.	357 ✓	0.003	मुकुटधारी सिंह पिता झलर सिंह चौहान
105.	572 ✓	0.028	सूर्यनारायण सिंह पिता सुद्धलाल सिंह
106.	573/1 ✓	0.003	सूर्यनारायण सिंह पिता सुद्धलाल सिंह
107.	576/1 ✓	0.030	सूर्यनारायण सिंह पिता सुद्धलाल सिंह
108.	339/1 ✓	0.016	राजबहोरन सिंह पिता हरिहर सिंह
109.	339/2 ✓	0.019	सरोज सिंह पत्नी प्रवीण सिंह रचना सिंह पत्नी दिवाकर सिंह
110.	337 ✓	0.019	राजबहोरन सिंह पिता हरिहर सिंह
111.	974 ✓	0.001	राजबहोरन सिंह पिता हरिहर सिंह
112.	576/4 ✓	0.013	प्रवीण सिंह दिवाकर सिंह पिता सीताशरण सिंह निर्मला देवी वेवा सीताशरण सिंह
113.	703 ✓	0.078	सुमित्री वेवा रामहित्त रामजीत संगमलाल बंदी अनिल पिता रामहित्त गुप्ता गुप्ता

114.	704 ✓	0.002	सुमित्री वेवा रामहित्त रामजीत संगमलाल बट्टी अनिल पिता रामहित्त गुप्ता गुप्ता
115.	698 ✓	0.011	निर्मला वेवा सीताशरण सिंह 1/2 मोतीलाल पिता ललई लालमणि पिता देविया शोभनाथ रामपती रामाधार बिहारी पिता लालमणि मु. गेंदउआ वेवा लालमणि शान्ती मन्ती पुत्री सूर्यदीन लखना हिरवा पिता छोटा रामप्रसाद मुन्ना बालमीक पिता ललवा रजउआ वेवा ललवा 1/2
116.	699 ✓	0.021	निर्मला वेवा सीताशरण सिंह 1/2 मोतीलाल पिता ललई लालमणि पिता देविया शोभनाथ रामपती रामाधार बिहारी पिता लालमणि मु. गेंदउआ वेवा लालमणि शान्ती मन्ती पुत्री सूर्यदीन लखना हिरवा पिता छोटा रामप्रसाद मुन्ना बालमीक पिता ललवा रजउआ वेवा ललवा 1/2
117.	689 ✓	0.004	निर्मला वेवा सीताशरण सिंह 1/2 मोतीलाल पिता ललई लालमणि पिता देविया शोभनाथ रामपती रामाधार बिहारी पिता लालमणि मु. गेंदउआ वेवा लालमणि शान्ती मन्ती पुत्री सूर्यदीन लखना हिरवा पिता छोटा रामप्रसाद मुन्ना बालमीक पिता ललवा रजउआ वेवा ललवा 1/2
118.	700 ✓	0.007	निर्मला वेवा सीताशरण सिंह 1/2 मोतीलाल पिता ललई लालमणि पिता देविया शोभनाथ रामपती रामाधार बिहारी पिता लालमणि मु. गेंदउआ वेवा लालमणि शान्ती मन्ती पुत्री सूर्यदीन लखना हिरवा पिता छोटा रामप्रसाद मुन्ना बालमीक पिता ललवा रजउआ वेवा ललवा 1/2
119.	690 ✓	0.015	निर्मला वेवा सीताशरण सिंह 1/2 मोतीलाल पिता ललई लालमणि पिता देविया शोभनाथ रामपती रामाधार बिहारी पिता लालमणि मु. गेंदउआ वेवा लालमणि शान्ती मन्ती पुत्री सूर्यदीन लखना हिरवा पिता छोटा रामप्रसाद मुन्ना बालमीक पिता ललवा रजउआ वेवा ललवा 1/2
120.	691/1 ✓	0.025	निर्मला वेवा सीताशरण सिंह 1/2 मोतीलाल पिता ललई लालमणि पिता देविया लालमणि सूर्यदीन लखना हिरवा पिता छोटा रामप्रसाद मुन्ना बालमीक पिता ललवा रजउआ वेवा ललवा 1/2
121.	691/2 ✓		प्रवीण सिंह सीताशरण सिंह
122.	760 ✓	0.026	मोहीलाल पिता ललईया 1/4 प्रीती सिंह पति पवन कुमार सिंह 1/4 शोभनाथ रामपती रामाधार बिहारी पिता लालमणि मु. गेंदउआ वेवा लालमणि शान्ती मन्ती पिता सूर्यदीन धरकार लखना हिरवा पिता छोटा रामप्रसाद मुन्ना बालमीक पिता ललवा रजउआ वेवा ललवा धरकार 1/2
123.	762 ✓	0.057	मोहीलाल पिता ललईया 1/4 प्रीती सिंह पति पवन कुमार सिंह 1/4 शोभनाथ रामपती रामाधार बिहारी पिता लालमणि मु. गेंदउआ वेवा लालमणि शान्ती मन्ती पिता सूर्यदीन धरकार लखना हिरवा पिता छोटा रामप्रसाद मुन्ना बालमीक पिता ललवा रजउआ वेवा ललवा धरकार 1/2
124.	769 ✓	0.004	मोहीलाल पिता ललईया 1/4 प्रीती सिंह पति पवन कुमार सिंह 1/4 शोभनाथ रामपती रामाधार बिहारी पिता लालमणि मु. गेंदउआ वेवा लालमणि शान्ती मन्ती पिता सूर्यदीन धरकार लखना हिरवा पिता छोटा रामप्रसाद मुन्ना बालमीक पिता ललवा रजउआ वेवा ललवा धरकार 1/2
125.	576/3 ✓	0.156	मु.रामकली सिंह पत्नी रामनारायण सिंह दीपक सिंह पिता रामनारायण सिंह
126.	1074/1 ✓		रामाधार पिता जगदीश राम ब्रा.
127.	1074/2 ✓	0.027	मु. हसरजुआ वेवा रामनुग्रह विजय पुष्पेन्द्र दुर्गावती शशी सराजे पिता रामानुग्रह
128.	1105/1 ✓	0.057	बुद्धसेन पिता दुदना काछी
129.	1105/2 ✓	0.050	विश्वनाथ पिता दुदना काछी
130.	376 ✓	0.001	शिवशरण पिता रामराज सिंह
131.	389 ✓	0.020	शिवशरण पिता रामराज सिंह
Total	131 किता	4.911 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक. 620.../भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### “ अनुसूची ”

#### 1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी  
 (ख) तहसील - बहरी  
 (ग) नगर/ग्राम - सजहा खुर्द  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.219 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	117 ✓	0.010	सरगनुआ देवी वेवा सीताराम भगवानदीन रामलखन जगमोहन रामरतन पिता सीताराम केवट
2.	118 ✓	0.022	सरगनुआ देवी वेवा सीताराम भगवानदीन रामलखन जगमोहन रामरतन पिता सीताराम केवट
3.	119 ✓	0.006	सरगनुआ देवी वेवा सीताराम भगवानदीन रामलखन जगमोहन रामरतन पिता सीताराम केवट
4.	120 ✓	0.006	सरगनुआ देवी वेवा सीताराम भगवानदीन रामलखन जगमोहन रामरतन पिता सीताराम केवट
5.	121 ✓	0.007	सरगनुआ देवी वेवा सीताराम भगवानदीन रामलखन जगमोहन रामरतन पिता सीताराम केवट
6.	122 ✓	0.010	सरगनुआ देवी वेवा सीताराम भगवानदीन रामलखन जगमोहन रामरतन पिता सीताराम केवट
7.	113 ✓	0.010	सरगनुआ देवी वेवा सीताराम भगवानदीन रामलखन जगमोहन रामरतन पिता सीताराम केवट
8.	112 ✓	0.007	सरगनुआ देवी वेवा सीताराम भगवानदीन रामलखन जगमोहन रामरतन पिता सीताराम केवट
9.	110 ✓	0.023	सरगनुआ देवी वेवा सीताराम भगवानदीन रामलखन जगमोहन रामरतन पिता सीताराम केवट
10.	111 ✓	0.013	सरगनुआ देवी वेवा सीताराम भगवानदीन रामलखन जगमोहन रामरतन पिता सीताराम केवट
11.	106 ✓	0.009	राजेश प्रताप सिंह पिता अभयराज सिंह
12.	107 ✓	0.018	राजेश प्रताप सिंह पिता अभयराज सिंह
13.	98 ✓	0.002	कमलाकर सिंह पिता अभयराज सिंह
14.	99 ✓	0.024	कमलाकर सिंह पिता अभयराज सिंह
15.	100 ✓	0.027	कमलाकर सिंह पिता अभयराज सिंह
16.	96 ✓	0.006	कमलाकर सिंह पिता अभयराज सिंह
17.	95 ✓	0.005	कमलाकर सिंह पिता अभयराज सिंह
18.	93 ✓	0.005	सुखेन्द्र सिंह पिता अभयराज सिंह
19.	92 ✓	0.009	सुखेन्द्र सिंह पिता अभयराज सिंह
Total	19 किता	0.219 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है, - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 622/भू-अर्जन/2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### “ अनुसूची ”

#### 1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी  
 (ख) तहसील - बहरी  
 (ग) नगर/ग्राम - सजहा कला  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.606 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	252 ✓	0.072	कल्याण सिंह पिता बुद्धिमान सिंह
2.	253 ✓	0.053	अभयराज सिंह पिता बुद्धिमान सिंह
3.	251 ✓	0.042	सुशीला पत्नी राघौ प्रताप सरोज शैल विनोद अशोक कलावती लाखेश मुनेश अनीता जीवेन्द्र शिवेन्द्र पुत्र राघौ प्रताप सिंह
4.	245 ✓	0.046	सुशीला पत्नी राघौ प्रताप सरोज शैल विनोद अशोक कलावती लाखेश मुनेश अनीता जीवेन्द्र शिवेन्द्र पुत्र राघौ प्रताप सिंह
5.	250 ✓	0.002	सुशीला पत्नी राघौ प्रताप सरोज शैल विनोद अशोक कलावती लाखेश मुनेश अनीता जीवेन्द्र शिवेन्द्र पुत्र राघौ प्रताप सिंह
6.	241 ✓	0.014	मंगलेश्वर सिंह पिता बुद्धिमान सिंह चन्देल
7.	232 ✓	0.018	मंगलेश्वर सिंह पिता बुद्धिमान सिंह चन्देल
8.	233 ✓	0.035	मंगलेश्वर सिंह पिता बुद्धिमान सिंह चन्देल
9.	234 ✓	0.030	मंगलेश्वर सिंह पिता बुद्धिमान सिंह चन्देल
10.	230 ✓	0.044	मंगलेश्वर सिंह पिता बुद्धिमान सिंह चन्देल
11.	202 ✓	0.001	मंगलेश्वर सिंह पिता बुद्धिमान सिंह चन्देल
12.	196 ✓	0.014	मंगलेश्वर सिंह पिता बुद्धिमान सिंह चन्देल
13.	175 ✓	0.001	मंगलेश्वर सिंह पिता बुद्धिमान सिंह चन्देल
14.	229 ✓	0.028	गयादीन पिता महावीरराम निर्मला देवी वेवा रघुवंश प्रसाद लखपती रमाकान्त श्रीकान्त पिता रघुवंश प्रसाद वंशमणि चन्द्रमणि प्रसाद सूर्यमणि प्रसाद राममणि प्रसाद रामवतार पिता गयादीन ब्रा.
15.	204 ✓	0.088	गयादीन पिता महावीरराम निर्मला देवी वेवा रघुवंश प्रसाद लखपती रमाकान्त श्रीकान्त पिता रघुवंश प्रसाद वंशमणि चन्द्रमणि प्रसाद सूर्यमणि प्रसाद राममणि प्रसाद रामवतार पिता गयादीन ब्रा.
16.	205 ✓	0.029	गयादीन पिता महावीरराम निर्मला देवी वेवा रघुवंश प्रसाद लखपती रमाकान्त श्रीकान्त पिता रघुवंश प्रसाद वंशमणि चन्द्रमणि प्रसाद सूर्यमणि प्रसाद राममणि प्रसाद रामवतार पिता गयादीन ब्रा.
17.	195 ✓	0.030	गयादीन पिता महावीरराम निर्मला देवी वेवा रघुवंश प्रसाद लखपती रमाकान्त श्रीकान्त पिता रघुवंश प्रसाद वंशमणि चन्द्रमणि प्रसाद सूर्यमणि प्रसाद राममणि प्रसाद रामवतार पिता गयादीन ब्रा.
18.	177 ✓	0.059	गयादीन पिता महावीरराम निर्मला देवी वेवा रघुवंश प्रसाद लखपती रमाकान्त श्रीकान्त पिता रघुवंश प्रसाद वंशमणि चन्द्रमणि प्रसाद सूर्यमणि प्रसाद राममणि प्रसाद रामवतार पिता गयादीन ब्रा.
Total	18 किता	0.606 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 624/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### “ अनुसूची ”

#### 1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी  
 (ख) तहसील - बहरी  
 (ग) नगर/ग्राम - अमरपुर  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 1.691 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	222 ✓	0.022	बदलेव चन्द्रशेखर पिता बुद्धिमान मु. मनबसुआ वेवा सुदामा राजकुमार रामकुमार अजय कुमार पिता सुदामा 1/5 तेजई छोटे पिता हनु राजकरण राजपति राजबहादुर जयभान मुन्ना सकुन्तला उर्मिला माता छोहगी पत्नी सुखई रामगरीब जमादार सिपाही पिता रघुनाथ 1/5 धनपती पिता देवशरण मनोहर मोतीलाल हिंगलाल पिता हनुपति 1/5 विजई श्यामलाल पिता सुखपति मु. गंगी वेवा रामलाल रमेश कुमार पुत्र शिया दुलारी पुत्री लालती पुत्री पिता रामलाल 1/5
2.	221 ✓	0.094	शोभनाथ पिता रामावतार 1/2 भजन पिता अहिवरन मु. नोहरी वेवा गल्होरे राजबली सूर्यबली रामसिया गुलबिया सोनिया मुन्नी राजकली रजमन्ती पिता गल्होरे 1/2
3.	220 ✓	0.028	शोभनाथ पिता रामावतार 1/2 भजन पिता अहिवरन मु. नोहरी वेवा गल्होरे राजबली सूर्यबली रामसिया गुलबिया सोनिया मुन्नी राजकली रजमन्ती पिता गल्होरे 1/2
4.	219 ✓	0.009	शोभनाथ पिता रामावतार 1/2 भजन पिता अहिवरन मु. नोहरी वेवा गल्होरे राजबली सूर्यबली रामसिया गुलबिया सोनिया मुन्नी राजकली रजमन्ती पिता गल्होरे 1/2
5.	224 ✓	0.127	शोभनाथ पिता रामावतार 1/2 भजन पिता अहिवरन मु. नोहरी वेवा गल्होरे राजबली सूर्यबली रामसिया गुलबिया सोनिया मुन्नी राजकली रजमन्ती पिता गल्होरे 1/2
6.	225 ✓	0.086	सुमेश्वर प्रसाद पिता जागेश्वरराम
7.	226 ✓	0.024	उमा देवी पति लालबहादुर नीता देवी पति शिवबहादुर वंशबहादुर पिता रामदेव पंचराज पिता रामदेव 63/181 रामदेव पिता विश्वनाथ 117/181 रघुनाथ पिता शिवनाथ 1/181
8.	238 ✓	0.002	उमा देवी पति लालबहादुर नीता देवी पति शिवबहादुर वंशबहादुर पिता रामदेव पंचराज पिता रामदेव 63/181 रामदेव पिता विश्वनाथ 117/181 रघुनाथ पिता शिवनाथ 1/181
9.	227 ✓	0.026	उमा देवी पति लालबहादुर नीता देवी पति शिवबहादुर वंशबहादुर पिता रामदेव पंचराज पिता रामदेव 63/181 रामदेव पिता विश्वनाथ 117/181 रघुनाथ पिता शिवनाथ 1/181
10.	228 ✓	0.079	उमा देवी पति लालबहादुर नीता देवी पति शिवबहादुर वंशबहादुर पिता रामदेव पंचराज पिता रामदेव 63/181 रामदेव पिता विश्वनाथ 117/181 रघुनाथ पिता शिवनाथ 1/181
11.	206 ✓	0.027	उमा देवी पति लालबहादुर नीता देवी पति शिवबहादुर वंशबहादुर पिता रामदेव पंचराज पिता रामदेव 63/181 रामदेव पिता विश्वनाथ 117/181 रघुनाथ पिता शिवनाथ 1/181

12.	203 ✓	0.060	धनुकधारी मन्नीलाल पिता रामस्वरूप 2/3 राजेन्द्र पिता पन्नालाल 1/3
13.	202 ✓	0.001	रामकिशोर रामकुमार बुद्धसेन रामानुज रामसेवक सन्तोसिया पिता व्यासराम मु. बबनी वेवा व्यासराम 1/3 कालूराम गंगाराम पिता सिद्धगोपाल राम 2/3
14.	185 ✓	0.048	शंखराजू पत्नी लखपती सिंह सुखराम पिता रंजीत काछी मोहन भजन पिता जगवीर काछी
15.	187 ✓	0.033	वंशराखन पिता भगवत विश्वकर्मा
16.	188 ✓	0.007	वंशराखन पिता भगवत
17.	182 ✓	0.036	शोभनाथ पिता रामावतार 1/2 भजन पिता अहिवरन मु. नोहरी वेवा गल्होरे राजबली सूर्यबली रामसिया गुलबिया सोनिया मुन्नी राजकली रजमन्ती पिता गल्होरे 1/2
18.	177 ✓	0.036	गुलाब पिता छोटकऊ 1/4 अयोध्या पिता मंगल सोनी 1/8 गंगा पिता शंकर 1/8 रघुनाथ पिता गंगा 1/2
19.	161 ✓	0.006	मु. कौशिल्या वेवा अयोध्या वंशराखन पिता भगवत विश्वकर्मा
20.	176 ✓	0.032	रामाधार पिता अहिवरन 2/3 रामभजन पिता अहिवरन 1/3
21.	169 ✓	0.035	रामनिहोर रामाधार उर्फ छोटेलाल पिता रघुनाथ 1/4 सुखदेव पिता मोहनराम 1/4 लालमन काशीराम कालूराम पिता रामप्रसाद 1/2
22.	170/1 ✓	0.038	रामाधार उर्फ छोटेलाल पिता रघुनाथ
23.	170/2 ✓		रामनिहोर पिता रघुनाथ
24.	171/1 ✓	0.042	रामाधार उर्फ छोटेलाल पिता रघुनाथ
25.	171/2 ✓		रामनिहोर पिता रघुनाथ
26.	127/1 ✓	0.051	रामाधार उर्फ छोटेलाल पिता रघुनाथ
27.	127/2 ✓		रामनिहोर पिता रघुनाथ
28.	126/1 ✓	0.038	रामाधार उर्फ छोटेलाल पिता रघुनाथ
29.	126/2 ✓		रामनिहोर पिता रघुनाथ
30.	124 ✓	0.006	गनपति मल्लू सूर्यभान पिता बिन्द्रा अहिर
31.	125/1 ✓	0.041	छोटे पिता जंगी अहिर
32.	96 ✓	0.060	केमलाराम रामलखन पिता लालमन मु. श्यामवती पत्नी सत्य प्रसाद राजीव कुमार पिता सत्य प्रसाद राम
33.	98 ✓	0.042	केमलाराम रामलखन पिता लालमन मु. श्यामवती पत्नी सत्य प्रसाद राजीव कुमार पिता सत्य प्रसाद राम
34.	54 ✓	0.065	मु. श्यामवती पत्नी सत्य प्रसाद राजीव कुमार पिता सत्य प्रसाद राम
35.	55 ✓	0.044	सहोदर प्रसाद पिता केमलाराम
36.	56 ✓	0.024	मु. चन्द्रवती पत्नी चन्द्रमणि रमाकान्त शिवाकान्त पिता चन्द्रमणि 1/4 उमाशंकर बाबूलाल कृष्ण औतार पिता हरप्रसाद 3/4
37.	57 ✓	0.036	रामलखन पिता लालमन मु. श्यामवती पत्नी सत्य प्रसाद राजीव कुमार पिता सत्य प्रसाद राम
38.	58 ✓	0.036	मोतीलाल पिता तीरथ प्रसाद 1/3 अगमा राम पिता नर्मदा राम मु. वैदेही देवी वेवा जगदीश प्रसाद उमेश प्रसाद कमलेश प्रसाद इन्द्रेश प्रसाद पिता जगदीश प्रसाद अयोध्या प्रसाद सन्तोष प्रसाद पिता त्रिवेणी 2/3
39.	60/1 ✓	0.141	मु. सुखराजू वेवा सुखदेव राम रामस्वरूप बाबूलाल रामलाल लाला प्रसाद कुसुम अरुणा पिता सुखदेव राम मु. दुर्गावती वेवा राजेन्द्र प्रसाद प्रवेश कुमार प्रसन्न कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद
40.	60/2 ✓		रामनिहोर पिता रघुनाथ
41.	60/3 ✓		रामाधार उर्फ छोटेलाल पिता रघुनाथ
42.	19 ✓	0.001	रामकिशोर रामकुमार बुद्धसेन रामानुज रामसेवक सन्तोसिया पिता व्यासराम मु. बबनी वेवा व्यासराम कालूराम गंगाराम पिता सिद्धगोपाल राम
43.	217 ✓	0.002	शोभनाथ पिता रामावतार 1/2 गल्होरे भजन पिता अहिवरन 1/2 सा पुजौही
44.	168 ✓	0.002	हीरा पिता शम्भू तेली
45.	7 ✓	0.004	केमला राम पिता लालमन रामलखन पिता लालमन मु. श्यामवती वेवा सत्यप्रसाद राजीव पिता सत्य प्रसाद



46.	259 ✓	0.060	भगवान पिता भैरो काछी
47.	257/1 ✓	0.070	सीताराम पिता बाबा काछी
48.	95 ✓	0.070	मुश्यामवती वेवा सत्यप्रसाद 1/2 गंगवा पिता शंकर 1/4 वृन्दा पिता मुनीम 1/4 सोनार
Total	48 किता	1.691 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 626.../भू-अर्जन/2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### " अनुसूची "

#### 1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी  
 (ख) तहसील - बहरी  
 (ग) नगर/ग्राम - झुमारिया  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.014 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	276/1	0.014	जगताराम पिता भैरोदीनराम
2.	276/2		गुलाब राम पिता केमलीराम
3.	276/3		चन्द्रप्रताप अंजनी कुमार पिता ज्ञानपतिराम सिरमनिया वेवा ज्ञानपति राम
Total	3 किता	0.014 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 628/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### " अनुसूची "

#### 1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी  
 (ख) तहसील - बहरी  
 (ग) नगर/ग्राम - पोखड़ौर  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 1:945 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	12/1 ✓	0.013	रामबहोरन पिता मट्टकराम
2.	12/2 ✓	0.030	लक्ष्मण प्रसाद धर्गेन्द्र गहेन्द्र बालेश्वर रागापीन गु. रारोज वेवा रामजियावन प्रिंरा प्रेग प्रिया पिता रागजियावन
3.	13 ✓	0.017	मु. गीता वेवा संतोष कुमार प्रवीण कुमार अमित कुमार पिता संतोष कुमार
4.	17 ✓	0.089	मु. गीता वेवा संतोष कुमार प्रवीण कुमार अमित कुमार पिता संतोष कुमार
5.	73/1 ✓	0.007	मु. गीता वेवा सन्तोष कुमार प्रवीण कुमार अमित कुमार पिता सन्तोष कुमार
6.	14 ✓	0.003	राममिलन राजेन्द्र प्रसाद राजीव कुमार सन्तोष कुमार पिता माधौ प्रसाद मु. चक्रवती वेवा माधौ
7.	52 ✓	0.016	दिनेश प्रसाद पिता गोविन्द प्रसाद
8.	54 ✓	0.053	मु. वेवा श्यामवती पति जगदीश प्रसाद दयाशंकर शिवशंकर जीतेन्द्र प्रसाद पिता जगदीश राम
9.	55 ✓	0.051	मु. वेवा महरजुआ पति मंगलेश्वर प्रसाद रितेश रूबी राखी पिता विनय कुमार संजीव कुमार अजय कुमार विजय कुमार पिता मंगलेश्वर प्रसाद भुनेश्वर प्रसाद दिनेश प्रसाद पिता गोविन्द प्रसाद
10.	60 ✓	0.009	मु. वेवा महरजुआ पति मंगलेश्वर प्रसाद रितेश रूबी राखी पिता विनय कुमार संजीव कुमार अजय कुमार विजय कुमार पिता मंगलेश्वर प्रसाद भुनेश्वर प्रसाद दिनेश प्रसाद पिता गोविन्द प्रसाद
11.	67 ✓	0.009	मु. वेवा महरजुआ पति मंगलेश्वर प्रसाद रितेश रूबी राखी पिता विनय कुमार संजीव कुमार अजय कुमार विजय कुमार पिता मंगलेश्वर प्रसाद भुनेश्वर प्रसाद दिनेश प्रसाद पिता गोविन्द प्रसाद
12.	157 ✓	0.070	मु. वेवा महरजुआ पति मंगलेश्वर प्रसाद रितेश रूबी राखी पिता विनय कुमार संजीव कुमार अजय कुमार विजय कुमार पिता मंगलेश्वर प्रसाद भुनेश्वर प्रसाद दिनेश प्रसाद पिता गोविन्द प्रसाद
13.	162 ✓	0.216	मु. वेवा महरजुआ पति मंगलेश्वर प्रसाद रितेश रूबी राखी पिता विनय कुमार संजीव कुमार अजय कुमार विजय कुमार पिता मंगलेश्वर प्रसाद भुनेश्वर प्रसाद दिनेश प्रसाद पिता गोविन्द प्रसाद
14.	56 ✓	0.004	भुवनेश्वर प्रसाद पिता गोविन्द प्रसाद
15.	57 ✓	0.028	भुवनेश्वर प्रसाद पिता गोविन्द प्रसाद
16.	58 ✓	0.019	भुवनेश्वर प्रसाद पिता गोविन्द प्रसाद
17.	59 ✓	0.042	भुवनेश्वर प्रसाद पिता गोविन्द प्रसाद
18.	62 ✓	0.044	भुवनेश्वर प्रसाद पिता गोविन्द प्रसाद

19.	72 ✓	0.018	भुवनेश्वर प्रसाद पिता गोविन्द प्रसाद
20.	69/1 ✓	0.100	भुवनेश्वर प्रसाद पिता गोविन्द प्रसाद
21.	61/1 ✓	0.129	राममिलन राजेन्द्र प्रसाद राजीव प्रसाद संतोष कुमार पिता माधौ प्रसाद मु. चक्रवती वेवा माधौ प्रसाद मु गीता वेवा संतोष कुमार प्रवीण कुमार अमित कुमार पिता संतोष कुमार मु. श्यामवती वेवा जगदीश प्रसाद दयाशंकर शिवशंकर जीतेन्द्र प्रसाद पिता जगदीश प्रसाद राम
22.	158 ✓	0.088	नागेन्द्र प्रसाद पिता गोपालराम
23.	164 ✓	0.038	गौरी जगन्निधिया जानकी वंशगोपाल रामकण्ठ पिता बंदी प्रसाद 5/7 श्यामकली पति रामचन्द्र 1/7 हरिशचन्द्र अशोक सन्तोष कजरी पिता जीवनारायण 1/7
24.	172 ✓	0.035	बृजवासी पिता बल्लभाराम श्रीमती करुणा पति बृजवासी प्रसाद
25.	173 ✓	0.001	सूर्य कुमार पिता अवधराम
26.	170 ✓	0.059	सूर्य कुमार पिता अवधराम
27.	265 ✓	0.052	सूर्य कुमार पिता अवधराम
28.	233 ✓	0.046	बृजमोहन पिता कैलाशराम
29.	342 ✓	0.028	बृजमोहन पिता कैलाशराम
30.	344	0.018	बृजमोहन पिता कैलाशराम
31.	234 ✓	0.037	त्रिवेणी प्रसाद पिता कैलाशराम
32.	264 ✓	0.079	श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्वामीशरण राम
33.	260 ✓	0.062	मु.श्यामवती वेवा दानबहादुर मेदनी प्रसाद सावित्री प्रभा पिता दानबहादुर मु. आराधना वेवा अजयकुमार शिखा शालिनी पिता अजय कुमार
34.	266 ✓	0.010	मु.श्यामवती वेवा दानबहादुर मेदनी प्रसाद सावित्री प्रभा पिता दानबहादुर मु. आराधना वेवा अजयकुमार शिखा शालिनी पिता अजय कुमार
35.	259 ✓	0.046	गया प्रसाद पिता केदारराम
36.	267 ✓	0.001	गया प्रसाद पिता केदारराम
37.	257 ✓	0.032	गया प्रसाद पिता केदारराम
38.	256 ✓	0.032	बालमुकुन्द पिता नर्वदाराम
39.	254 ✓	0.010	बालमुकुन्द पिता नर्वदाराम
40.	340 ✓	0.028	बालमुकुन्द पिता नर्वदाराम
41.	341 ✓	0.020	बतसिया देवी कुसुमकली श्यामकली प्रेमवती सरस्वती सीतादेवी गायत्री शेष कुमारी सावित्री पुत्री गोपाल राम
42.	343 ✓	0.018	बतसिया देवी कुसुमकली श्यामकली प्रेमवती सरस्वती सीतादेवी गायत्री शेष कुमारी सावित्री पुत्री गोपाल राम
43.	346 ✓	0.010	दधिबल पिता भगोले
44.	350/1 ✓	0.034	महानन्द शिवरतन रामरतन जगजीवन श्यामलाल पिता तिलकधारी मु. बसंतकुमारी वेवा हेमलाल ददू कृष्ण कुमार धर्मेन्द्र मीराबाई मंजुरानू विनीता पिता हेमलाल धनरजुआ पुत्री तिलकधारी
45.	171/1 ✓	0.065	बृजवासी पिता बल्लभाराम श्रीमती करुणा पति बृजवासी प्रसाद जगदीश रामपिता वल्लभा राम मु. रामकली वेवा लेखमणि ज्ञानेन्द्र तुलसीदास पिता लेखमणि राम कुन्ज बिहारी पिता वल्लभा राम ऋषि बिहारी पिता वल्लभा राम
46.	69/2 ✓	0.065	श्रीमती रूपकली पति बुद्धसेन
47.	263 ✓	0.064	श्रवण कुमार शिवेन्द्र कुमार अनिल कुमार आशा तारा पिता रामपाल ब्रा.
Total	47 किता	1.945 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 4 के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 630.../भू-अर्जन/2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### “ अनुसूची ”

#### 1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी  
 (ख) तहसील - बहरी  
 (ग) नगर/ग्राम - पुजौही  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 1.157 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	296 ✓	0.030	मोतीलाल पिता तीरथ राम 1/3 अधीश प्रसाद पिता त्रिवेणीराम 2/9 श्रीमती अर्चना देवी पत्नी अधीश 1/9 प्रसाद श्रीमती लोलरिया पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 1/3
2.	353 ✓	0.080	मोतीलाल पिता तीरथ राम 1/3 अधीश प्रसाद पिता त्रिवेणीराम 2/9 श्रीमती अर्चना देवी पत्नी अधीश 1/9 प्रसाद श्रीमती लोलरिया पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 1/3
3.	352 ✓	0.060	मोतीलाल पिता तीरथ राम 1/3 अधीश प्रसाद पिता त्रिवेणीराम 2/9 श्रीमती अर्चना देवी पत्नी अधीश 1/9 प्रसाद श्रीमती लोलरिया पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 1/3
4.	360 ✓	0.051	मोतीलाल पिता तीरथ राम 1/3 अधीश प्रसाद पिता त्रिवेणीराम 2/9 श्रीमती अर्चना देवी पत्नी अधीश 1/9 प्रसाद श्रीमती लोलरिया पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 1/3
5.	361 ✓	0.014	मोतीलाल पिता तीरथ राम 1/3 अधीश प्रसाद पिता त्रिवेणीराम 2/9 श्रीमती अर्चना देवी पत्नी अधीश 1/9 प्रसाद श्रीमती लोलरिया पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 1/3
6.	294 ✓	0.050	मु. श्यामकली देवा गंगा सिंह भईयालाल सिंह सवाई लाल सिंह अभिराजू संखनी राज कुमारी मिथिलेश पिता गंगा सिंह 1/2 बुद्धिमान सिंह अवधलाल सिंह लालबहादुर सिंह पिता सम्पत्ति 1/2
7.	295 ✓	0.005	श्रीमती अर्चना देवी पत्नी अधीश प्रसाद
8.	354 ✓	0.114	अधीश प्रसाद पिता त्रिवेणी राम
9.	359 ✓	0.003	रामदेव पिता विश्वनाथ कोटवार
10.	363 ✓	0.155	रघुनाथ पिता शिवनाथ 1/6 रामदेव पिता विश्वनाथ 5/6
11.	343/1 ✓	0.115	श्रीमती बबनी पत्नी रामदेव कोटवार
12.	343/2 ✓		बाबादीन पिता जोखई श्रीनाथ पिता बिरऊ रामखेलावन रमेश राजेन्द्र पिता श्रीमान
13.	344 ✓	0.066	गुजरतिया जगपति श्यामलाल सन्तलाल पिता जगपति भगवत रामगरीब पिता नोहर अभयराज सत्यराज पिता चिन्तामणि बढकू देवा चिन्तामणि धोबी
14.	341 ✓	0.030	गुजरतिया जगपति श्यामलाल सन्तलाल पिता जगपति भगवत रामगरीब पिता नोहर अभयराज सत्यराज पिता चिन्तामणि बढकू देवा चिन्तामणि धोबी
15.	106 ✓	0.009	बलदेव चन्द्रशेखर पिता बुद्धिमान मु. मनबसुआ देवा सुदामा राजकुमार रामकुमार अजय कुमार पिता सुदामा 1/5 तेजई छोटा पिता हनू छोटकी पुत्री हनू रामगरीब जमादार सिपाही पिता रघुनाथ 1/5 मनोहर मोतीलाल हिंगलाल पिता हनपति 1/5 गंगा देवराज बतसिया मुन्नी निचकिया रूकमनी पिता धनपति 1/5 विजयी श्यामलाल पिता सुखपति रमेश सिया दुलारी लालती पिता रामलाल मु. गंगी देवा रामलाल काछी 1/5
16.	100 ✓	0.015	बलदेव चन्द्रशेखर पिता बुद्धिमान मु. मनबसुआ देवा सुदामा राजकुमार रामकुमार अजय कुमार पिता सुदामा 1/5 तेजई छोटा पिता हनू छोटकी पुत्री हनू रामगरीब जमादार सिपाही पिता रघुनाथ 1/5 मनोहर मोतीलाल हिंगलाल

			पिता हनपति 1/5 गंगा देवराज बतसिया मुन्नी निचकिया रूकमनी पिता धनपति 1/5 विजयी श्यामलाल पिता सुखपति रमेश सिया दुलारी लालती पिता रामलाल मु. गंगी वेवा रामलाल काछी 1/5
17.	105 ✓	0.110	बलदेव चन्द्रशेखर पिता बुद्धिमान मु. मनबसुआ वेवा सुदामा राजकुमार रामकुमार अजय कुमार पिता सुदामा 1/5 तेजई छोटा पिता हनू छोटकी पुत्री हनू रामगरीब जमादार सिपाही पिता रघुनाथ 1/5 मनोहर मोतीलाल हिंगलाल पिता हनपति 1/5 गंगा देवराज बतसिया मुन्नी निचकिया रूकमनी पिता धनपति 1/5 विजयी श्यामलाल पिता सुखपति रमेश सिया दुलारी लालती पिता रामलाल मु. गंगी वेवा रामलाल काछी 1/5
18.	99 ✓	0.058	बलदेव चन्द्रशेखर पिता बुद्धिमान मु. मनबसुआ वेवा सुदामा राजकुमार रामकुमार अजय कुमार पिता सुदामा 1/5 तेजई छोटा पिता हनू छोटकी पुत्री हनू रामगरीब जमादार सिपाही पिता रघुनाथ 1/5 मनोहर मोतीलाल हिंगलाल पिता हनपति 1/5 गंगा देवराज बतसिया मुन्नी निचकिया रूकमनी पिता धनपति 1/5 विजयी श्यामलाल पिता सुखपति रमेश सिया दुलारी लालती पिता रामलाल मु. गंगी वेवा रामलाल काछी 1/5
19.	82 ✓	0.046	बलदेव चन्द्रशेखर पिता बुद्धिमान मु. मनबसुआ वेवा सुदामा राजकुमार रामकुमार अजय कुमार पिता सुदामा 1/5 तेजई छोटा पिता हनू छोटकी पुत्री हनू रामगरीब जमादार सिपाही पिता रघुनाथ 1/5 मनोहर मोतीलाल हिंगलाल पिता हनपति 1/5 गंगा देवराज बतसिया मुन्नी निचकिया रूकमनी पिता धनपति 1/5 विजयी श्यामलाल पिता सुखपति रमेश सिया दुलारी लालती पिता रामलाल मु. गंगी वेवा रामलाल काछी 1/5
20.	83 ✓	0.030	बलदेव चन्द्रशेखर पिता बुद्धिमान मु. मनबसुआ वेवा सुदामा राजकुमार रामकुमार अजय कुमार पिता सुदामा 1/5 तेजई छोटा पिता हनू छोटकी पुत्री हनू रामगरीब जमादार सिपाही पिता रघुनाथ 1/5 मनोहर मोतीलाल हिंगलाल पिता हनपति 1/5 गंगा देवराज बतसिया मुन्नी निचकिया रूकमनी पिता धनपति 1/5 विजयी श्यामलाल पिता सुखपति रमेश सिया दुलारी लालती पिता रामलाल मु. गंगी वेवा रामलाल काछी 1/5
21.	77 ✓	0.045	बलदेव चन्द्रशेखर पिता बुद्धिमान मु. मनबसुआ वेवा सुदामा राजकुमार रामकुमार अजय कुमार पिता सुदामा 1/5 तेजई छोटा पिता हनू छोटकी पुत्री हनू रामगरीब जमादार सिपाही पिता रघुनाथ 1/5 मनोहर मोतीलाल हिंगलाल पिता हनपति 1/5 गंगा देवराज बतसिया मुन्नी निचकिया रूकमनी पिता धनपति 1/5 विजयी श्यामलाल पिता सुखपति रमेश सिया दुलारी लालती पिता रामलाल मु. गंगी वेवा रामलाल काछी 1/5
22.	300/2 ✓	0.025	मु. सावित्री वेवा सुखलाल राजकुमार सीमा पिता सुखलाल काछी
23.	75 ✓	0.046	गोविन्द प्रसाद चन्द्रशेखर प्रसाद कुसुम ऊषा पिता गिरधारी राम 1/8 मु. कुसुम वेवा वंशपती राम कृपाशंकर पिता वंशपती राम 1/8 मोतीलाल पिता तीरथप्रसाद 1/12 अधीस कुमार पिता त्रिवेणी राम 1/9 हि.सन्तोष कुमार पिता त्रिवेणी राम 1/36 श्रीमती लोलरिया पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 1/12 शोभनाथ पिता रामावतार 1/4 रामसिया पिता गल्होर भजन पिता अहिवरन मुनोहरी वेवा गल्होरे रामवली सूर्यवली रामसिया पिता गल्होरे 1/4
Total	23 किता	1.157 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.